(रजि. क्र. एस/67804/दिल्ली)

अखिल भारतीय प्रजापति (कुंभकार) महासंघ (रजि.)

AKHIL BHARTIYA PRAJAPATI (KUMBHKAR) MAHASANGH (Regd.)

संविधान

नियम और अधिनियम
प्रथम हिंदी संस्करण-2021

पंजीकृत कार्यालय:
IX/6232, सुभाष मोहल्ला, गांधीनगर, दिल्ली-110031

मुख्य कार्यालय:
फ्लैट नं. A-12, चौथी मंजिल, मलाड योजना को.हा. सोसाइटी लि.,
न्यू इरा सिनेमा के सामने, एस.वी.रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई-400064.
मो. नं.: (+91) 9930477730 / 9977207777 / (+91) 9969640819
वेबसाइट: www.abpkmahasangh.net
ई मेल: abpkmahasangh.2009@gmail.com

CERTIFICATE OF REGISTRATION

UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860

Registration No. S/ 67804 **/2009**

I hereby certify that AKHIL BHARTIYA PRAJAPATI (KUMBHKAR) MAHASANGH.

Located at MIG Flats No-57, GF, Pocket-G12, Sector-3, Rohini Delhi-110085

has been registered* under SOCIETIES REGISTRATION ACT OF 1860.

Given under my hand at Delhi on this 18 **day of** Dec. **Two Thousand Nine.**

Fee of Rs. 50/- Paid

Seal
Registrar of Societies
Delhi

(R. P. KUKRETI)
REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI

** This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the Society before entering into any contract/assignment with them.*

प्रस्तावना

अखिल भारतीय प्रजापति (कुम्भकार) महासंघ (रजि.) के संविधान का संशोधित संस्करण दिनांक 7 अप्रैल, 2018 को महासंघ की भोपाल (म.प्र.) में संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदन एवं साधारण सभा द्वारा अंगीकार करने के बाद लागू हो गया था। यह संस्करण अंग्रेजी भाषा में है। महासंघ के विभिन्न स्तर के सदस्यों से बातचीत एवं चर्चा के दौरान यह अनुभव किया गया कि हमारे समाज के देश के अलग-अलग भागों में रहने वाले सदस्यों को महासंघ के उद्देश्य, लक्ष्य एवं इसकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देने के लिये संविधान को जन साधारण की भाषा में प्रस्तुत करना ज्यादा उपयोगी होगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंग्रेजी संस्करण का हिंदी में अनुवाद करने का निर्णय लिया गया और इसकी जिम्मेदारी **श्री बलवंत प्रकाश गोयल** (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष) और **श्री उमाशंकर प्रजापति** (राष्ट्रीय अतिरिक्त मुख्य महासचिव) को सौंपी गई। इन सदस्यों ने संविधान के अंग्रेजी संस्करण का हिंदी में अनुवाद करके इसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसका अनुवाद करते समय दिनांक 13 मार्च 2021 को मेहसाना (गुजरात) में सम्पन्न "राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति" की बैठक में अनुमोदित एवं स्वीकार किये गये संशोधनों को भी समाहित किया गया है। इसके अलावा अंग्रेजी संस्कारण 2018 के अनुच्छेद 15(7)(3) में व्याप्त प्रिंटिंग दोष को भी ठीक कर दिया गया है। हमारे संविधान का यह "हिन्दी संस्करण-2021" आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस संस्करण में समाहित सभी संशोधनों का सूचीबद्ध विवरण अंग्रेजी संस्करण-2018 के लिए संलग्नक के रूप में अलग से प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में रहने वाले सदस्यों के लिये संविधान को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। संविधान में बदलाव की आवश्यकता बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार पड़ती है, इसलिए भविष्य में भी संविधान में सर्वसम्मति से पारित बदलाव किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों का स्वागत किया जायेगा।

(आर.बी.के. प्रजापति)
राष्ट्रीय अध्यक्ष

दिनांक : 31 मार्च, 2021
स्थान : मुंबई

विषय-सूची

क्र.	अनुच्छेद संख्या	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
1	1-3	सोसायटी का नाम, पंजीकरण और पता	1
2	4	लक्ष्य और उद्देश्य	1-4
3	5,6,7,8	परिभाषाएं, सदस्यता और शुल्क एवं सदस्यता की समाप्ति	4-7
4	9	निष्कासित सदस्य का पुनः प्रवेश	8
5	10	साधारण सभा	8-9
6	11	महासंघ का संचालन	9-12
7	12	राष्ट्रीय मामलों का प्रबंधन	12-31
8	13	प्रदेश मामलों का प्रबंधन	31-41
9	14	शाखाओं (विंग्स) का गठन	41-50
10	15	समितियों का गठन	50-82
11	16	निर्वाचन	82-94
12	17,18, 19,20,21	आय का स्रोत, लेखा परीक्षा, वित्तीय वर्ष बैंक खाता और रिक्त पदों को भरना	94-96
13	22	धारा-4 के तहत सूचियों का प्रस्तुतीकरण	96
14	23	कानूनी कार्यवाही	96
15	24	संविधान में संशोधन	96-97
16	25	अस्थायी और क्षणिक प्रावधान	97
17	26	विघटन	97-98
18	27	लागू अनुच्छेद और उपयोग	98
19	28	आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम-2018	98-101
20	29	आवश्यक प्रमाणपत्र	101

अखिल भारतीय प्रजापति (कुंभकार) महासंघ (रजि.)

(सोसायटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के तहत पंजीकृत)

संविधान

(नियम और अधिनियम) – प्रथम हिंदी संस्करण – 2021

1. संस्था / सोसायटी:

a. **नाम:** "अखिल भारतीय प्रजापति (कुंभकार) महासंघ (रजि.)"

b. **पंजीकरण संख्या:** "एस/67804/दिल्ली" दिनांक 18 दिसम्बर 2009

2. पता:

a. **पंजीकृत कार्यालय:** IX / 6232, सुभाष मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली–31.

b. **मुख्य कार्यालय :** फ्लैट नं. A/12, चौथी मंजिल,
मलाड योजना को.ऑप. हाउसिंग सोसाइटी लि.,
न्यू इरा सिनेमा के सामने, एस.वी. रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई–400064

c. **संपर्क विवरण: मो. नं.: (+91) 9930477730 / (+91) 9977207777**
WhatsApp (+91) 9969640819 / वेबसाइट: **www.abpkmahasangh.net**
ईमेल: **abpkmahasangh.2009@gmail.com**

3. अधिकार–क्षेत्र:

पूरा देश यानि सभी प्रदेश एवं संघीय क्षेत्र ।

4. महासंघ के उद्देश्य और लक्ष्य:

महासंघ के मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्यों का विवरण:

1. **प्रजापति समुदाय के सदस्यों के बीच भाईचारा एवं एकता को बढ़ावा**
देश के विभिन्न प्रदेशों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में विभिन्न उपनामों और उपाधियों, जैसे कुम्हार, कुंभकार, कुलाल, कुमार, पंडित, कुमावत, प्रजापत, प्रजापति, वेल्लार, शेट्टीयार, पेरियार, पिल्लई, बेहरा, साहू, राना, शालिवाहन, पाल, मिस्त्री आदि के नाम से विभिन्न ग्रुपों एवं समुदायों में रहने वाले हमारे समुदाय के लोगों के बीच भाईचारा और एकता स्थापित करना,

2. **पुरानी एवं अनुपयुक्त परंपराओं और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ समुदाय के सदस्यों को शिक्षित करना:**
समाज में फैली कुरीतियों एवं रुढ़िवादी अप्रचलित परम्पराओं से छुटकारा पाने के लिये समाज के लोगों को शिक्षित करके उनको छोड़ने के लिये प्रोत्साहित करना,

3. **बलात्कार, शोषण और उत्पीड़न जैसे अत्याचारों के विरुद्ध खड़ा होना:** उपर्युक्त घटनाओं के घटित होने पर महासंघ के स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय अधिकारियों को पत्र लिखकर आवाज़ उठाना और तुरंत प्रदेश एवं केन्द्रीय नेतृत्त्व को इसकी सूचना देना जिससे कि जरुरी सहयोग का प्रबंध किया जा सके,

4. **शैक्षणिक और वित्तीय सहायता का प्रबंध:**

   a) प्रतिभाशाली एवं गरीब छात्रों और असहाय परिवारों के लिए शैक्षणिक सहायता और परामर्श देने की सुविधा की व्यवस्था करना,

   b) सदस्यों को उत्कृष्ट शिक्षा जैसे सी.बी.एस.ई (CBSE), आई.सी.एस.ई. (ICSE) आदि को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना,

   c) उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिये उपलब्ध अवसरों एवं सरकारी सहायता से संचालित विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी देना,

   d) उन्हें ओ.बी.सी. (OBC) श्रेणी के लिये उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये प्रेरित करना और लोकसेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.आर.एस., आई.एफ.एस., पी.सी.एस. एवं अन्य व्यवसायिक परीक्षाओं जैसे सी.ए., इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि में शामिल होने के लिये प्रेरित करना,

   e) हमारे समाज के सक्षम सदस्यों से छात्रों और लोकसेवा की परीक्षाओं में शामिल होने के लिये तैयारी कर रहे नवयुवकों के लिये छात्रावास बनाने के लिये राजी करना।

5. **मिट्टी से बर्तन और अन्य सामान बनाने वाले कार्य की युगों पुरानी पद्धति में सुधार एवं कारीगरों की कौशल क्षमता को आधुनिक बनाने के लिये प्रबंध करना:**

   a) युगों पुराने मिट्टी के बर्तन बनाने के पेशे को नई तकनीक, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना,

   b) मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया में कौशल विकास को बढ़ावा देने, टेराकोटा काले और लाल बर्तन और इससे संबन्धित अन्य उत्पादों को बनाने में नई तकनीक, आधुनिक उपकरण एवं नई पद्धति का उपयोग करने, उत्पादों का घरेलु एवं विदेशी बाजारों में प्रचार प्रसार करने, केन्द्रीय और प्रदेश सरकारों, खादी ग्रामोद्योग एवं विभिन्न नगरपालिकाओं और

निगमों द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उत्पाद का निर्यात करने में मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना,

c) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), खादी और ग्राम इंडस्ट्रीज आयोग (KVIC), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि विभागों द्वारा मिट्टी से बने बर्तन एवं इससे संबंधित अन्य उत्पादों, इनसे जुड़े कारीगरों एवं मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग को बढ़ावा एवं प्रचार प्रसार करने की चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।

6. कौशल विकास और उद्यमिता के लिए प्रत्सोहन:

हमारे समुदाय के सदस्यों में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को स्थापित करके उन्हें स्वउद्योग एवं उससे होने वाली आमदनी के बारे में उचित प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी एवं बढ़ावा देना।

7. खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन:

हमारे युवाओं के बीच खेल, सांस्कृतिक नृत्य और नाटक इत्यादि गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

8. चिकित्सीय सहायता के बारे में शिक्षित करना:

a) हमारे सदस्यों को माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्रियों की चिकित्सा राहत निधि से प्रदान की जाने वाली चिकित्सीय सहायता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना,

b) चिकित्सा राहत निधि से चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का नियम बहुत ही सरल है और इसे एक फॉर्म भरकर प्राप्त किया जा सकता है,

c) माननीय राष्ट्रपति चिकित्सीय राहत निधि द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की धनराशि की कोई सीमा नहीं है।

9. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले सदस्यों को प्रशिक्षित करना:

राजनीति, प्रशासन और सरकारों में अपने हिस्से की भागीदारी के लिए प्रयास और संघर्ष करना।

10. केंद्रीय और प्रदेश स्तर पर गठित विभिन्न विंग और समितियों के माध्यम से समुदाय के सदस्यों को निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जायेगी:

a) सदस्यों को कानूनी सहायता प्रदान करना,

b) विभिन्न कार्यों के लिये प्रशासकीय सहायता की व्यवस्था करना,

c) विभिन्न सरकारी विभागों में उपलब्ध वित्तीय सहायताओं की जानकारी और उनको प्राप्त करने के बारे में जागरुकता पैदा करना,

d) सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण के बारे में जागरुकता पैदा करना,

e) विधायक, एम.एल.सी., सांसद (लोकसभा), सांसद (राज्यसभा) और विभिन्न बोर्डों के अध्यक्ष आदि पदों के चुनाव के लिये विभिन्न राजनैतिक दलों से मिलकर अपने सदस्यों के लिये टिकट प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना,

f) विभिन्न सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना,

g) विभिन्न वैवाहिक और धार्मिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करना,

h) युवाओं के बीच सामाजिक और नैतिक मूल्यों के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना,

i) तीर्थयात्रा और ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिये समन्वय और सहायता प्रदान करना,

j) राष्ट्रीय उत्सवों एवं राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्त्वपूर्ण दिनों जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदि, के अवसर पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

5. परिभाषाएं:

1. **महासंघ** : अखिल भारतीय प्रजापति (कुंभकार) महासंघ (रजि.) की शाखायें और संबद्ध संगठन।

2. **प्रजापति** : समुदाय जिसे विभिन्न उपनामों से संबोधित किया जाता है जैसे, कुम्हार, कुंभार, कुंभकार, कुलाल, कुमारा पंडित, कुमावत, प्रजापत, वेल्लार, शेट्टीयार, पेरियार, पिल्लई, बेहरा, साहू, राणा शालिवाहन, पाल, मिस्त्री आदि।

3. **सदस्य** : ऐसा व्यक्ति जिसने महासंघ की सदस्यता आजीवन सदस्य के रूप में स्वीकार की है ।

4. **समिति** : एक या एक से अधिक सदस्यों का समूह जिसे अखिल भारतीय प्रजापति (कुंभकार) महासंघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया हो ।

5. **साधारण सभा (General Body)**

a. **राष्ट्रीय स्तर पर** : महासंघ के सभी आजीवन सदस्य और पदाधिकारी,

b. **प्रदेश स्तर पर** : प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर के सभी आजीवन सदस्य और पदाधिकारी,

c. **जिला स्तर पर** : जिले एवं तहसील स्तर के सभी आजीवन सदस्य एवं पदाधिकारी,

d. **तहसील स्तर पर** : तहसील स्तर के सभी आजीवन सदस्य एवं पदाधिकारी,

6. सदस्यता के लिये पात्रता:

a. प्रजापति समुदाय का कोई भारतीय नागरिक / अनिवासी भारतीय जिसकी उम्र १८ वर्ष या इससे ज्यादा हो, निर्धारित सदस्यता शुल्क भरकर महासंघ का सदस्य बन सकता है । इन सदस्यों को "आजीवन सदस्य" के नाम से जाना जायेगा।

b. महासंघ की सदस्यता और इससे जुड़े हुए अधिकार, महासंघ के साथ संबद्ध विभिन्न सामुदायिक संस्थायें, समिति के संगठनों के अध्यक्षों को दी जायेगी । फिर भी अगर इन संगठनों के अन्य सदस्य महासंघ की आजीवन सदस्यता ग्रहण करना चाहें तो उनको अलग से सदस्यता शुल्क के भुगतान के बाद महासंघ की सदस्यता प्रदान की जायेगी।

c. महासंघ को जमीनी स्तर तक विस्तार करने के लिए, प्रदेश, जिला और तहसील स्तर के पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद समुदाय के सदस्यों को "साधारण सदस्य" के रूप में सदस्य बनाया जा सकता है । इन सदस्यों की भूमिका स्थानीय स्तर पर समूह बनाकर बैठके आयोजित करके महासंघ के उद्देश्य और लक्ष्यों का प्रचार प्रसार करने की होगी । इन सदस्यों को उनकी इस भूमिका के आधार पर आजीवन सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

7. आजीवन सदस्यता: शुल्क एवं अधिकार:

7(1). सदस्यता शुल्क:

a) महासंघ की आजीवन सदस्यता प्रदान करने के लिये रुपये 1200/- का शुल्क निर्धारित किया गया है । इस धनरासि में रुपये 1000/- सदस्यता शुल्क और रुपये 200/- सदस्यता प्रमाणपत्र एवं पहचान पत्र बनवाकर सम्बन्धित सदस्य को भेजने के लिये उपयोग किये जायेंगे,

b) संरक्षक के लिये किसी तरह का शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, फिर भी स्वैच्छिक वित्तीय सहयोग महासंघ की विकास निधि में सहयोग के रुप में स्वीकार किया जायेगा।

c) सदस्यता शुल्क या अन्य योगदान के रूप में दी गई धनराशि पूर्ण रूप से अहस्तांतरणीय एवं अप्रतिदेय होगी।

7(2). सदस्यों के अधिकार:

a) राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला एवं तहसील स्तर पर होने वाले चुनाओं में भाग लेने का अधिकार होगा,

b) महासंघ की केंद्रीय, प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर की विभिन्न समितियों और विंगों में विभिन्न पदाधिकारियों एवं सदस्यों के रूप में नामांकन / चयन के लिए पात्र होंगे,

c) केंद्र एवं प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों, संगोष्ठियों एवं साधारण सभा (General Body) की बैठकों में उपस्थित रहकर उनमें भाग लेने का अधिकार होगा,

d) महासंघ की सदस्यता अहस्तांतरणीय होगी।

7(3). सदस्यों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

a) सभी सदस्य महासंघ के संविधान में निहित सभी नियमों और कानूनों का पालन करते हुए महासंघ के विकास के लिये कार्य करेंगे,

b) अगर कोई सदस्य महासंघ के हितों के विरुद्ध क्रिया कलापों में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध संविधान के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी,

c) सदस्यों को महासंघ के प्रचार एवं विकास के लिये अपने सुझाव एवं विचार उचित मंच एवं समय पर रखने का अधिकार होगा,

d) सदस्यों को महासंघ की आंतरिक गतिविधियों एवं निर्णयों के बारे में प्रश्न या टिप्पणी सिर्फ उचित मंच एवं समय पर ही उठाने का अधिकार होगा, इनके बारे में सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देना या टिप्पणी करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा,

e) महासंघ के पदाधिकारियों एवं शीर्ष नेतृत्त्व के बारे में सार्वजनिक रूप से या सोशल मीडिया में टिप्पणी करना भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा क्योंकि इससे महासंघ की छबि धूमिल होती है,

f) प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह सदैव महासंघ के हितों का खयाल रखें और महासंघ के हितों के विरुद्ध हो रहे क्रियाकलापों की जानकारी सक्षम पदाधिकारियों के संज्ञान में लायें।

8. सदस्यता की समाप्तिः

8(1). समाप्तिः

निम्नलिखित स्थितियों में आजीवन सदस्यता समाप्त हो जाएगी:

a) कोई भी सदस्य महासंघ द्वारा प्रदत्त संपत्तियां जैसे प्रमाणपत्र, पहचानपत्र, रसीद पुस्तिकाएं एवं अन्य दस्तावेज़ वापस करके तथा बकाया धनराशि का भुगतान करने के बाद स्वेच्छा से त्यागपत्र देने की स्थिति में,

b) किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाने पर,

c) दिवालिया घोषित होने की स्थिति में,

d) पागलपन की स्थिति में,

e) सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में।

8(2). निष्कासनः

निम्नलिखित स्थितियों में सदस्य को महासंघ से निष्कासित कर दिया जायेगा,

a) महासंघ के हितों के विपरीत काम करने पर,

b) संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर,

c) सदस्य का आचरण महासंघ की नीतियों के विपरीत पाये जाने की स्थिति में,

d) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के निर्णयों की अवहेलना करने पर,

e) महासंघ की बकाया देयराशि भुगतान नहीं करने पर,

f) लगातार 3 (तीन) बैठकों में भाग नहीं लेने की स्थिति में।

8(3). निष्कासन के बादः

a) निष्कासन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित सदस्य का महासंघ से कोई संबंध नहीं रहेगा,

b) निष्कासन के बाद संबंधित सदस्य द्वारा किसी भी रूप में महासंघ के नाम का उपयोग करना अवैध होगा,

c) निष्कासित सदस्य द्वारा महासंघ से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया में उपलब्ध जानकारी का उपयोग या उसके बारे में टिप्पणी करना पूर्णतया वर्जित होगा,

d) निष्कासित सदस्य द्वारा महासंघ से संबंधित नाम में या महासंघ के बारे में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशियल मीडिया में भ्रामक प्रचार या टिप्पणी करना संवैधानिक रूप से अवैध होगा,

e) उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित निष्कासित सदस्य के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

9. निष्कासित सदस्य का पुनः प्रवेशः

a) निष्कासित / बर्खास्त सदस्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अपील करने का अधिकार होगा और अपील का निपटारा राष्ट्रीय कोर समिति के साथ चर्चा करके किया जायेगा,

b) याचिका का निपटारा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सदस्य के स्पष्टीकरण और महासंघ के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

10. साधारण सभा (General Body):

10(1). बैठकों का आयोजनः

a) महासंघ की साधारण सभा (General Body) में महासंघ के समस्त आजीवन सदस्य शामिल होंगे,

b) साधारण सभा (General Body) की बैठक का आयोजन राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा निश्चित किये गए स्थान पर पांच साल में एक बार किया जायेगा,

c) साधारण सभा (General Body) में सभी पदाधिकारियों और आजीवन सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा । साधारण सभा (General Body) को पिछले वर्ष का आय व्यय का ब्योरा, लेखापरीक्षित विवरण (Balance Sheet) एवं अनुपालन रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी,

d) बैठक में महासंघ की अगले 5 वर्षों के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की चर्चा की जायेगी और साधारण सभा द्वारा इसका अनुमोदन किया जायेगा,

e) अतिरिक्त साधारण सभा की बैठक कुल सदस्यों की 1/5 संख्या के संयुक्त आवाहन पर तय कार्यसूची (Agenda) पर चर्चा के लिये बुलाई जा सकती है,

f) साधारण सभा की बैठकों की जानकारी नीचे दिए गए क्रमांक (g) में वर्णित तरीके से दी जायेगी,

g) साधारण सभा की बैठक की कार्यसूची (Agenda) राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा तय की जाएगी और उसकी जानकारी सभी सदस्यों को नेट, एस.एम.एस., वॉट्सएप, प्रिंट मीडिया, प्रजापति पत्रिकाओं और फलक (Pamphlets) आदि के माध्यम से दी जायेगी । प्रदेश और संघ शासित प्रदेशों द्वारा तहसील स्तर तक पर्चे वितरित किये जायेंगे । इसके अलावा बैठक की जानकारी महासंघ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी,

h) बैठक की कार्यवाही के लिये अपेक्षित गणपूर्ति (Quorum) कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी । अपूर्ण गणपूर्ति (Quorum) के मामले में, बैठक को ३० मिनिट के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और उसके बाद बैठक उसी स्थल और उसी कार्यावली (Agenda) के साथ आयोजित की जायेगी,

i) प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर पर साधारण सभा की बैठकें प्रति वर्ष आयोजित की जायेगी।

10(2). बैठक की कार्यवाही का संचालन एवं बैठक का रिकॉर्ड:

a) साधारण सभा बैठक में "संविधान में संशोधन" जैसे विषयों के साथ अन्य विषयों पर चर्चा एवं निर्णय लिया जायेगा,

b) बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त (Minutes) को बैठकों के दौरान रिकॉर्ड किया जायेगा और फिर उनका ड्राफ्ट रिपोर्ट सभी सदस्यों को उनकी जानकारी हेतु भेजा जायेगा और उनसे 30 दिनों के अन्दर टिप्पणियां भेजने के लिये कहा जायेगा, अगर निश्चित समय में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो इस ड्राफ्ट को अंतिम मान लिया जायेगा और इसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति / प्रदेश कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में जानकारी एवं अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा,

c) वृत्तांत के अनुमोदन के बाद वृत्तांत की प्रिंटेड कॉपी केन्द्रीय कार्यालय में रिकॉर्ड के लिये रखी जायेगी और सॉफ्ट कॉपी महासंघ की वेबसाईट पर डाली जायेगी,

d) प्रदेश की साधारण सभा के वृत्तांतों की प्रिंटेड कॉपी केन्द्रीय कार्यालय को रिकॉर्ड के लिये भेजी जायेगी ।

10(3). राष्ट्रीय साधारण सभा (General Body) के अधिकार और कर्तव्य:

a) साधारण सभा (General Body) में संरक्षक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रादेशिक कार्यकारिणी समितियों के पदाधिकारी, विंग एवं समितियों के राष्ट्रीय एवं प्रदेश के पदाधिकारी, माननीय एवं कार्यकारी सदस्य शामिल होंगे,

b) साधारण सभा (General Body) राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी समितियों को महासंघ के हित में सुधार के लिये सुझाव दे सकती है,

c) साधारण सभा (General Body) को "संविधान संशोधन समिति" द्वारा सुझाये एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित संशोधनों को अभिग्रहण (Adoption) करने का अधिकार रहेगा । अनुमोदित संशोधन साधारण सभा द्वारा अभिग्रहण करने के बाद तुरंत प्रभाव से लागू हो जायेंगे।

11. महासंघ का संचालन:

11(1). महासंघ का संचालन विभिन्न समितियों एवं शाखाओं के माध्यम से किया जायेगा और इसके लिये संविधान में निहित विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत नीचे दी गई समितियों एवं शाखाओं का गठन किया जायेगा;

राष्ट्रीय स्तर पर:

a) केंद्रीय प्रबंधन समिति

b) राष्ट्रीय कोर समिति

c) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति

प्रदेश स्तर पर:

a) प्रदेश कोर समिति

b) प्रदेश कार्यकारिणी समिति

जिला एवं तहसील स्तर पर:

a) जिला / तहसील कोर समिति

b) जिला / तहसील कार्यकारिणी समिति

उपर्युक्त क्रम में महासंघ की तीनों विंग (शाखायें) महिला विंग, महिला युवा विंग एवं पुरुष युवा विंग भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय कोर समिति, प्रदेश कार्यकारिणी समिति, प्रदेश कोर समिति के समानांतर अपनी-अपनी कार्यकारिणी समिति तथा कोर समिति का गठन करेंगे ।

इसके अलावा समाज के प्रत्येक क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 16 समितियों का गठन किया जाएगा जिनका विवरण अनुच्छेद-15 में दिया गया है ।

11(2). समितियों का गठन:

11(2)(1). इन समितियों का गठन विभिन्न स्तर की नीचे वर्णित "नियुक्ति समितियों" द्वारा किया जायेगा:

अनुच्छेद 11(1) में उल्लिखित विभिन्न समितियों का गठन नीचे दी गयी विभिन्न नियुक्ति समितियों द्वारा किया जायेगा। इन समितियों के सदस्यों के नियुक्ति पत्र सम्बंधित मुख्य महासचिवों या अध्यक्षों द्वारा जारी किये जायेंगे।

a) राष्ट्रीय नियुक्ति समिति

b) प्रदेश नियुक्ति समिति

c) राष्ट्रीय नियुक्ति समिति (महिला विंग)

d) राष्ट्रीय नियुक्ति समिति (युवा महिला विंग)

e) राष्ट्रीय नियुक्ति समिति (युवा पुरुष विंग)

11(2)(2). इन समितियों का गठन प्रारूप एवं उत्तरदायित्व निम्न रूप में होगा:

राष्ट्रीय नियुक्ति समिति: इस समिति में कुल 5/7 लोग होंगे:

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष – चेयरमैन

b) राष्ट्रीय मुख्य महासचिव – सदस्य

c) बाकी 3/5 सदस्यों का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा किया जायेगा ।

उत्तरदायित्व:

a) केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्यों की नियुक्ति,

b) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की नियुक्ति,

c) महिला, युवा महिला एवं युवा पुरुष विंग (शाखाओं) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव की नियुक्ति,

d) सभी 16 समितियों के राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति।

प्रदेश नियुक्ति समिति: इस समिति में कुल 3/5/7 लोग होंगे:

a) प्रदेश अध्यक्ष – चेयरमेन

b) प्रदेश मुख्य महासचिव – सदस्य

c) बाकी 1/3/5 सदस्यों का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा किया जायेगा ।

उत्तरदायित्व: प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की नियुक्ति और प्रदेश जिला एवं तहसील स्तर की समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करना ।

राष्ट्रीय नियुक्ति समिति (महिला विंग): इस समिति में कुल 3/5/7 लोग होंगे:

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष – चेयरमेन

b) राष्ट्रीय मुख्य महासचिव – सदस्य

c) बाकी 1/3/5 सदस्यों का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा किया जायेगा ।

उत्तरदायित्व: राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन एवं संबंधित प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर की कार्यकारिणी समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करना ।

राष्ट्रीय नियुक्ति समिति (युवा महिला विंग): इस समिति में कुल 3/5/7 लोग होंगे:

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष – चेयरमेन

b) राष्ट्रीय मुख्य महासचिव – सदस्य

c) बाकी 1/3/5 सदस्यों का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा किया जायेगा ।

उत्तरदायित्व: राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन एवं संबंधित प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर की कार्यकारिणी समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करना ।

राष्ट्रीय नियुक्ति समिति (युवा पुरुष विंग): इस समिति में कुल 3/5/7 लोग होंगे:

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष – चेयरमेन

b) राष्ट्रीय मुख्य महासचिव – सदस्य

c) बाकी 1/3/5 सदस्यों का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा किया जायेगा ।

उत्तरदायित्व: राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन एवं संबंधित प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर की कार्यकारिणी समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करना ।

नोटः a) भविष्य में आवश्यकतानुसार विंग (शाखाओं) की प्रदेश नियुक्ति समितियों का गठन किया जायेगा ।

b) विंग (शाखाओं) की प्रदेश नियुक्ति समितियों के गठित न होने की स्थिति में प्रदेश स्तर की सभी नियुक्तियाँ उस विंग की राष्ट्रीय नियुक्ति समिति द्वारा की जायेगी ।

c) असाधारण एवं विषम परिस्थितियों में महासंघ के हित में संगठन की सभी नियुक्तियाँ "राष्ट्रीय नियुक्ति समिति" द्वारा की जायेगी ।

d) 16 समितियों के सदस्यों की नियुक्तियाँ "राष्ट्रीय नियुंक्ति समिति" द्वारा की जायेगी ।

12. राष्ट्रीय मामलों का प्रबंधनः

महासंघ की गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाएगा।

a) केंद्रीय प्रबंधन समिति (CMC)

b) राष्ट्रीय कोर समिति (NCC)

c) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC)

12(1). केंद्रीय प्रबंधन समिति (CMC)

12(1)(1). केंद्रीय प्रबंधन समिति (CMC) का गठनः

a) केंद्रीय प्रबंधन समिति में 15/20/25 सदस्य होंगे,

b) केंद्रीय प्रबंधन समिति का प्रारूप निम्न रूप में होगा:–

– राष्ट्रीय अध्यक्ष – चेयरमैन

– राष्ट्रीय मुख्य महासचिव – उपचेयरमैन

– सदस्य

c) शेष 13/18/23 का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा राष्ट्रीय नियुक्ति समिति की सलाह पर किया जायेगा,

d) राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव को उपर्युक्त (c) में वर्णित सदस्यों को किसी भी समय महासंघ के हित में बदलने का अधिकार होगा। इसके अलावा समिति के सदस्यों की संख्या में भी बदलाव करने का अधिकार रहेगा।

12(1)(2). केंद्रीय प्रबंधन समिति के कर्तव्य एवं अधिकारः

इस समिति का मुख्य कार्य महासंघ की दैनिक गतिविधियों का प्रबंधन एवं संचालन करना होगा । इसके अलावा यह समिति निम्नलिखित उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करेगी ।

a) देश के विभिन्न भागों में महासंघ एवं प्रजापति समाज से संबंधित घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी समिति के चेयरमैन एवं उपचेयरमैन को देना होगा,

b) राष्ट्रीय एवं प्रमुख प्रादेशिक पदों पर प्रस्तावित नियुक्ति के पूर्व सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं अन्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जानकारी अपनी टिप्पणी के साथ राष्ट्रीय नियुक्ति समिति को प्रेषित करना,

c) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की सभी प्रस्तावित बैठकों के बारे में स्थानीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ मिलकर आवश्यक जानकारी एकत्र कर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कोर समिति को देना,

d) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की प्रस्तावित बैठक स्थलों का पूर्व निरीक्षण करना एवं अपनी रिपोर्ट उचित टिप्पणी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कोर समिति को प्रेषित करना,

e) समिति इन बैठकों के आयोजन की व्यवहारिकता एवं प्रबंधन का आकलन करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को उचित सलाह देगी।

f) बैठकों में शामिल होने वाले सदस्यों एवं प्रतिनिधियों की आवास एवं भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करना,

g) महासंघ की प्रचार सामग्री एवं बैनर आदि का प्रदर्शन करना । इसके अलावा बैठकों के दौरान नये सदस्यों को जोड़ने के लिये उचित व्यवस्था करना,

h) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठकों के लिये कार्यसूची तैयार करने में सहयोग देना एवं स्थानीय सदस्यों के साथ उचित तालमेल बिठाकर समय-समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को उचित जानकारी देना ।

12(2). राष्ट्रीय कोर समिति (NCC)

12(2)(1). राष्ट्रीय कोर समिति (NCC) का गठन:

a) राष्ट्रीय कोर समिति में न्यूनतम 5 (पाँच) और अधिक्तम 7 (सात) सदस्य होंगे,

b) निम्नलिखित सदस्य पद के अनुसार (Ex Officio) "राष्ट्रीय कोर समिति" के चेयरमैन एवं सदस्य होंगे:

   i. राष्ट्रीय अध्यक्ष : चेयरमैन

   ii. राष्ट्रीय मुख्य महासचिव : सदस्य

c) शेष 3 (तीन) या 5 (पाँच) सदस्यों का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा किया जाएगा,

d) राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव को उपर्युक्त (c) में वर्णित सदस्यों को किसी भी समय महासंघ के हित में बदलने का अधिकार होगा ।

12(2)(2). राष्ट्रीय कोर समिति के कर्तव्य और अधिकार:

a) यह समिति आकस्मिक मामलों में त्वरित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी,

b) राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की समितियों के पदाधिकारियों के चयन और नियुक्ति से सम्बंधित सभी महत्त्वपूर्ण और जरुरी निर्णय लेने का अधिकार होगा,

c) निम्नलिखित मामले इसके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे:

i. नीतिगत मामले,

ii. अनुशासनात्मक मामले,

iii. केंद्र एवं प्रदेश की विभिन्न पदाधिकिरयों की नियुक्ति के मामले,

iv. वित्तीय प्रबंधन एवं अनियमितताओं के मामले,

v. महासंघ के हित में आने वाले अन्य सभी मामले ।

12(3). राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC):

12(3)(1). गठन:

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:

a) इसमें सभी मुख्य राष्ट्रीय पदाधिकारी और विंग्स एवं समितियों के राष्ट्रीय पदाधिकारी,

b) प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य महासचिव,

c) समिति के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित होगी:

i. 351 (आजीवन सदस्यों की संख्या 10,000 से कम)

ii. 500 (आजीवन सदस्यों की संख्या 10,000 या अधिक)

नोट: राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार विंग्स एवं समितियों के प्रादेशिक जिला एवं तहसील स्तर के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है ।

12(3)(2). राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के घटक:

क्र.	पद का नाम	संख्या
1	राष्ट्रीय अध्यक्ष	1
2	राष्ट्रीय मुख्य महासचिव	1
3	राष्ट्रीय अतिरिक्त मुख्य महासचिव	1
4	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	12
5	राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष (Acting President)	1

क्र.	पद का नाम	संख्या
6	राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष	1
7	राष्ट्रीय क्षेत्रीय अध्यक्ष	7
8	राष्ट्रीय सचिव	11
9	राष्ट्रीय महासचिव	11
10	प्रदेश अध्यक्ष (सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश)	36(29+7)
11	प्रदेश मुख्य महासचिव (सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश)	36(29+7)
12	राष्ट्रीय संगठन सचिव	15
13	राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष	1
14	राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्ष	1
15	राष्ट्रीय सहायक कोषाध्यक्ष	1
16	राष्ट्रीय चेयरमेन NRI (पुरुष)	1
17	राष्ट्रीय उपचेयरमेन NRI (पुरुष)	5
18	राष्ट्रीय चेयरमेन NRI (महिला)	1
19	राष्ट्रीय उपचेयरमेन NRI (महिला)	5
20	राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला विंग)	1
21	राष्ट्रीय मुख्य महासचिव (महिला विंग)	1
22	राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष (महिला विंग)	2
23	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (महिला विंग)	2
24	राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग)	1
25	राष्ट्रीय मुख्य महासचिव (युवा महिला विंग)	1
26	राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष (युवा महिला विंग)	2
27	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (युवा महिला विंग)	2
28	राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवक विंग)	1
29	राष्ट्रीय मुख्य महासचिव (युवक विंग)	1
30	राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष (युवक विंग)	2
31	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (युवक विंग)	2
32	राष्ट्रीय चेयरमैन (राजनीतिक मामलों की समिति)	1

क्र.	पद का नाम	संख्या
33	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (राजनीतिक मामलों की समिति)	5
34	प्रदेश चेयरमैन (राजनीतिक मामलों की समिति)	1
35	राष्ट्रीय चेयरमैन (न्याय और कानूनी मामलों की समिति)	1
36	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (न्याय और कानूनी मामलों की समिति)	5
37	प्रदेश चेयरमैन (न्याय और कानूनी मामलों की समिति)	1
38	राष्ट्रीय चेयरमैन (प्रशासनिक मामलों की समिति)	1
39	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (प्रशासनिक मामलों की समिति)	5
40	प्रदेश चेयरमैन (प्रशासनिक मामलों की समिति)	1
41	राष्ट्रीय चेयरमैन (धार्मिक मामलों की समिति)	1
42	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (धार्मिक मामलों की समिति)	5
43	प्रदेश चेयरमैन (धार्मिक मामलों की समिति)	1
44	राष्ट्रीय चेयरमैन (विज्ञान और तकनीकी मामलों की समिति)	1
45	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (विज्ञान और तकनीकी मामलों की समिति)	5
46	प्रदेश चेयरमैन (विज्ञान और तकनीकी मामलों की समिति)	1
47	राष्ट्रीय चेयरमैन (भ्रमण और यात्रा मामलों की समिति)	1
48	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (भ्रमण और यात्रा मामलों की समिति)	5
49	प्रदेश चेयरमैन (भ्रमण और यात्रा मामलों की समिति)	1
50	राष्ट्रीय चेयरमैन (खेल और सांस्कृतिक मामलों की समिति)	1
51	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (खेल और सांस्कृतिक मामलों की समिति)	5
52	प्रदेश चेयरमैन (खेल और सांस्कृतिक मामलों की समिति)	1
53	राष्ट्रीय चेयरमैन (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मामलों की समिति)	1
54	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मामलों की समिति)	5
55	प्रदेश चेयरमैन (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मामलों की समिति)	1
56	राष्ट्रीय चेयरमैन (सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मामलों की समिति)	1
57	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मामलों की समिति)	5
58	प्रदेश चेयरमैन (सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मामलों की समिति)	1
59	राष्ट्रीय चेयरमैन (वैवाहिक मामलों की समिति)	1

क्र.	पद का नाम	संख्या
60	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (वैवाहिक मामलों की समिति)	5
61	प्रदेश चेयरमैन (वैवाहिक मामलों की समिति)	1
62	राष्ट्रीय चेयरमैन (बैंकिंग और वित्त मामलों की समिति)	1
63	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (बैंकिंग और वित्त मामलों की समिति)	5
64	प्रदेश चेयरमैन (बैंकिंग और वित्त मामलों की समिति)	1
65	राष्ट्रीय चेयरमैन (विपणन संवर्धन और शिकायत राहत मामलों की समिति)	1
66	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (विपणन संवर्धन और शिकायत राहत मामलों की समिति)	5
67	प्रदेश चेयरमैन (विपणन संवर्धन और शिकायत राहत मामलों की समिति)	1
68	राष्ट्रीय चेयरमैन (शैक्षिक मामलों की समिति)	1
69	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (शैक्षिक मामलों की समिति)	5
70	प्रदेश चेयरमैन (शैक्षिक मामलों की समिति)	1
71	राष्ट्रीय चेयरमैन (कौशल और उद्यमिता विकास मामलों की समिति)	1
72	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (कौशल और उद्यमिता विकास मामलों की समिति)	5
73	प्रदेश चेयरमैन (कौशल और उद्यमिता विकास मामलों की समिति)	1
74	राष्ट्रीय चेयरमैन (व्यापार और उद्योग विकास मामलों की समिति)	1
75	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (व्यापार और उद्योग विकास मामलों की समिति)	5
76	प्रदेश चेयरमैन (व्यापार और उद्योग विकास मामलों की समिति)	1
77	राष्ट्रीय चेयरमैन (मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ, ईट भट्टा एवं ग्रामीणविकास मामलों की समिति)	1
78	राष्ट्रीय उपचेयरमैन (मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ, ईट भट्टा एवं ग्रामीणविकास मामलों की समिति)	5
79	प्रदेश चेयरमैन (मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ, ईट भट्टा एवं ग्रामीणविकास मामलों की समिति)	1
80	राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार	1
81	राष्ट्रीय आंतरिक लेखा परीक्षक	1
82	राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी	1
83	राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी	2
84	राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया	1

क्र.	पद का नाम	संख्या
85	राष्ट्रीय उपप्रभारी मीडिया	5
86	राष्ट्रीय मीडिया सेक्रेटरी	5
87	राष्ट्रीय प्रभारी सोशल मीडिया	1
88	राष्ट्रीय उपप्रभारी सोशल मीडिया	5
89	राष्ट्रीय प्रचार एवं प्रसार सचिव	2
90	राष्ट्रीय प्रवक्ता	2
91	राष्ट्रीय संरक्षक	20
92	प्रदेश संरक्षक (पुरुष)	15
93	प्रदेश संरक्षक (महिला)	15
94	राष्ट्रीय अध्यक्ष (नेपाल)	1
95	कार्यकारी सदस्य (आवश्यकतानुसार)	–
	समिति में निर्धारित सदस्यों की संख्या	**351**

नोटः

1) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या ३५१ निर्धारित की गई हैं । इसे महासंघ के हित में राष्ट्रीय कोर समिति के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है । राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में निर्धारित संख्या बल को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी सदस्यों (Executive Members) को शामिल किया जा सकता है,

2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के उपर्युक्त पदाधिकारियों एवं उनकी संख्या का प्रावधान भविष्य में महासंघ के विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया है । वर्तमान में समिति के सदस्यों की संख्या महासंघ की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की गई है और भविष्य में इसमें बदलाव किया जा सकता है,

3) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या में रिक्त पदों को शामिल नहीं किया जाएगा । इसके अलावा "राष्ट्रीय संरक्षक", "प्रदेश संरक्षक" (महिला एवं पुरुष), "राष्ट्रीय नेपाल अध्यक्ष" एवं राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष (NRI प्रकोष्ठ – महिला एवं पुरुष) को भी समिति की संख्या में शामिल नहीं किया जायेगा,

4) "राष्ट्रीय संरक्षक", "प्रदेश संरक्षक" (महिला एवं पुरुष), "राष्ट्रीय नेपाल अध्यक्ष" एवं राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष (NRI प्रकोष्ठ – महिला एवं पुरुष) एवं माननीय सदस्य "राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति" की बैठकों में अतिथि के रूप में शामिल होंगे,

5) "राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति" के घटकों की संख्या अनुच्छेद 12(2)(1)(3) में वर्णित मानक के अनुरूप निश्चित की जायेगी । यदि कोई पद किसी भी अवधि में रिक्त रहता है तो उसकी जगह कार्यकारिणी सदस्य को शामिल किया जा सकता है, इससे महासंघ की गतिविधियों एवं कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,

6) सामान्यतया रूप से महासंघ की किसी भी विंग / समिति में एक सदस्य एक समय में केवल एक ही पद ग्रहण कर सकता है । किन्तु विशेष परिस्थितियों में किसी सदस्य को महासंघ के हित में राष्ट्रीय कोर समिति के अनुमोदन से एक ही समय पर एक से अधिक जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं,

7) सामान्य तौर पर किसी परिवार के दो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रीय पदों पर नहीं की जायेगी लेकिन अगर आवश्यक हो तो राष्ट्रीय कोर समिति की अनुमति से इस नियम में छूट दी जा सकती है । यह नियम प्रादेशिक पदों पर भी लागू होगा । इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदों पर अलग–अलग की जा सकती है । इन सदस्यों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा,

8) सामान्य रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी किंतु महासंघ के हित में आवश्यक मामलों के समाधान के लिये जितनी बार आवश्यक हो, बैठकें की जा सकती हैं,

9) राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, समिति के 1/5 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर विशेष बैठक बुला सकते हैं,

10) राष्ट्रीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी,

11) समुदाय के माटी कला बोर्डों के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री महासंघ की बैठकों एवं सम्मेलनों के लिये विशेष अतिथियों के फलक (Panel) में शामिल रहेंगे ।

12(3)(3). राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की अवधिः

a) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की अवधि 5 (पाँच) वर्ष की होगी,

b) निर्वाचित सदस्य अर्थात् राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव 5 (पाँच) वर्ष की पूर्ण अवधि के लिये रहेंगे,

c) महासंघ के हित में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति / राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा मनोनीत / चयनित सदस्य और पदाधिकारियों को हटाया या बदला जा सकता है ।

12(3)(4). राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य और अधिकारः

12(3)(4)(1). राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगेः

a) राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा लिये गए निर्णयों की अभिपुष्टि एवं महासंघ की गतिविधियों एवं विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कम से कम एक वर्ष में दो बार करना,

b) महासंघ के साथ प्रजापति समुदाय की कोई संस्था, समिति या संगठन को महासंघ के साथ संबंधन (Affiliation) का स्थायी / अस्थायी तौर पर निम्न शर्तों पर अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार होगा,

   i. दो हज़ार एक सौ रुपये (रु. 2,100/- मात्र) की धनराशि एक बार संबंद्धता शुल्क के रूप में जमा करना,

   ii. संगठन के पदाधिकारियों की सूची प्रस्तुत करना,

   iii. संगठन के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना,

   iv. महासंघ के साथ 1 वर्ष के भीतर विलय या स्थायी संबंधन की प्रतिबद्धता देना,

c) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के पास प्रदेश, जिला और तहसील स्तर की सभी समितियों के सम्पूर्ण अधिकार होंगे,

d) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी।

e) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के पास महासंघ की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन के लिये निम्न अधिकार होंगे,

   i. महासंघ की गतिविधियों एवं विभिन्न कार्यक्रमों को इस तरह से नियंत्रित करना कि वे महासंघ के संविधान में वर्णित नियमों के तहत सम्पन्न हों,

   ii. महासंघ की गतिविधियों को संचालित करने के लिये जरुरी धनराशि एवं व्यय के बारे में समय–समय पर निर्णय लेना,

f) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को महासंघ के सदस्यों में से सदस्य/सदस्यों को किसी रिक्त पद को भरने के लिये सहयोजित (Co Opt.) करने का अधिकार होगा,

g) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को अपने उस सदस्य को समिति से निकालने का अधिकार होगा जो समिति की लगातार 3 बैठकों में बिना पूर्व अनुमति या बिना उपयुक्त कारणों की वजह से शामिल नहीं होता है । समिति उन सदस्यों को भी निकाल सकती है जिनका अंशदान (Subscription) दो या दो वर्ष से अधिक समय से बकाया है,

h) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को महासंघ के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समितियों एवं उपसमितियों के गठन करने का अधिकार होगा,

i) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को अन्य कार्य जो महासंघ के हित में हैं, करने का अधिकार रहेगा।

12(3)(4)(2). राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त अधिकार:

अनुच्छेद 12(3)(4)(1) में वर्णित अधिकारों के अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के पास निम्नलिखित अतिरिक्त अधिकार होंगे।

12(3)(4)(2)(1). चुनाव या नामांकन रद्द करने का अधिकार:

a) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर की कार्यकारिणियों के पदाधिकारियों का नामांकन या चुनाव पर्याप्त आधार पर रद्द करने का अधिकार होगा,

b) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को महासंघ के किसी भी सदस्य को प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर की समितियों का प्रशासक / संयोजक नियुक्त करने का अधिकार होगा जिनका कार्यकाल दो वर्ष से अधिक नहीं होगा,

c) उपर्युक्त निर्णयों के विरोध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के पास 30 दिनों के अन्दर अपील की जा सकती है,

d) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

12(3)(4)(2)(2). राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी समिति के मध्य टकराव:

राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी समितियों के बीच किसी टकराव की स्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी समिति को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में अपील करने का अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का फैसला अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा।

12(4). राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार:

राष्ट्रीय अध्यक्ष:

a) महासंघ के सभी मामलों में महासंघ के मुखिया के रूप में नेतृत्त्व करने का अधिकार रहेगा,

b) सामान्य रूप से वह महासंघ की प्रत्येक गतिविधि का मार्गदर्शक एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेगा,

c) राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार महासंघ के हित में जरुरत के हिसाब से त्वरित निर्णय लेकर उचित दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार होगा, बाद में उनकी पुष्टि राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से करानी होगी,

d) अति आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण मामलों में महासंघ के हित में तुरंत निर्णय लेगा और तत्पश्चात राष्ट्रीय कोर समिति से उनकी पुष्टि कराना,

e) सामान्यतया महासंघ की गतिविधियों का संचालन राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा निर्देशित होगा लेकिन अति आवश्यक मामलों में वह तुरंत निर्णय लेगा और बाद में उसकी पुष्टि राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा की जायेगी,

f) महासंघ के हित में किसी भी राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर की नियुक्तियाँ करने का अधिकार होगा,

g) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, साधारण सभा (General Body) एवं अन्य सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा,

h) समय–समय पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों से जैसे विभिन्न विंगों के अध्यक्षों, समितियों के चेयरमैनों, प्रदेश अध्यक्षों आदि से प्रगति रिपोर्टों की मांग एवं उन पर चर्चा करेगा । इन प्रगति रिपोर्टों को राष्ट्रीय कोर समिति में विचार विमर्श करने के बाद आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा एवं जरुरी दिशानिर्देश जारी करेगा,

i) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा लिये गए निर्णयों का क्रियान्वयन कराएगा और इस सम्बन्ध में उसके द्वारा लिये गए निर्णय सभी पर बाध्य होंगे,

j) महासंघ के हित में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, विंग, समिति या प्रदेश कार्यकारिणी समिति के किसी भी चयनित या नामांकित कार्यकारिणी सदस्य और पदाधिकारी को हटाने और नए चेहरों को नियुक्त करने का अधिकार रहेगा । इन निर्णयों की पुष्टि राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा करानी होगी । इन विषयों पर निर्णय लेते समय महासंघ की आचार संहिता के नियमों का ध्यान रखना होगा,

k) निर्वाचित पदाधिकारियों, जैसे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य महासचिव के सम्बन्ध में समुचित जाँच के बाद ही महासंघ की आचार संहिता के अनुसार कार्यवाही की जायेगी और निर्णय लिया जायेगा,

l) प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य महासचिव जैसे पदों के खाली पदों में किसी सदस्य को अनौपचारिक रूप में छः महीने के लिये नियुक्त करने का अधिकार रहेगा । ऐसे मामलों में इस अवधि में केन्द्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य महासचिव को नियुक्त करना होगा,

m) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और राष्ट्रीय कोर समिति की सलाह पर विभिन्न समितियों / विंगों के पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार होगा,

n) रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) तक की निकासी एवं व्यय करने का अधिकार होगा । इस व्यय का विवरण एक माह के अन्दर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को देना होगा जिसको अनुमोदन के लिये अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा,

o) राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि 5 (पाँच) वर्षों की होगी ।

राष्ट्रीय संरक्षकः

a) संरक्षक के पद का चयन राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा किया जायेगा । इस पद के लिये प्रदेश कार्यकारिणी समितियां नामों को उचित अनुशंसा एवं टिप्पणी के साथ राष्ट्रीय कोर समिति या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को भेज सकते हैं,

b) संरक्षक के पद की अवधि आजीवनकाल या निष्कासन तक रहेगी,

c) संरक्षक के पद के नामांकन के लिये उच्च बौद्धिक / ईमानदार / आध्यात्मिक एवं आदरणीय व्यक्तित्त्व / वरिष्ठ संस्थापक सदस्य / उच्च निष्ठावान व्यक्तित्व आदि गुणों का समावेश होना आवश्यक है,

d) संरक्षक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होगा लेकिन उसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठकों में माननीय अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया जायेगा । वह बैठकों में शामिल होकर महासंघ की प्रगति के लिये सुझाव देगा और महासंघ का मार्गदर्शन करेगा,

e) वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एवं सामान्य बैठकों में एक आजीवन सदस्य की तरह वोट डाल सकता है किन्तु बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता है,

f) वह समय समय पर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश एवं सुझावों द्वारा महासंघ की प्रगति के लिये कार्य करेगा ।

नोट: 1) प्रादेशिक संरक्षक (महिला एवं पुरुष) का चयन एवं नियुक्ति संबंधित प्रादेशिक यूनिट की अनुशंसा के बाद राष्ट्रीय नियुक्ति समिति द्वारा की जायेगी,

2) प्रादेशिक संरक्षक (महिला एवं पुरुष) के अधिकार एवं कर्तव्य राष्ट्रीय संरक्षक की तरह प्रदेश स्तर पर रहेंगे ।

प्रदेश संरक्षक (पुरुष एवं महिला):

a) सम्बंधित प्रदेश की कार्यकारिणी समिति का हिस्सा न होते हुए भी सम्बंधित प्रदेश के अध्यक्ष के साथ सामंजस्य बिठाते हुए समय–समय पर उचित मार्गदर्शन करेगा,

b) आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय संरक्षक और मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक के साथ विचार विमर्श करेगा और महासंघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उचित रूपरेखा का निर्धारण करेगा और सम्बंधित प्रदेश के पदाधिकारी को सलाह देगा।

चयन, अधिकार एवं कर्तव्य:

a) संरक्षक के पद का चयन राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा किया जायेगा । इस पद के लिये प्रदेश कार्यकारिणी समितियां नामों को उचित अनुशंसा एवं टिप्पणी के साथ राष्ट्रीय कोर समिति या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को भेज सकते हैं,

b) संरक्षक के पद की अवधि आजीवनकाल या निष्कासन तक रहेगी,

c) संरक्षक के पद के नामांकन के लिये उच्च बौद्धिक / ईमानदार / आध्यात्मिक एवं आदरणीय व्यक्तित्त्व / वरिष्ठ संस्थापक सदस्य / उच्च निष्ठावान व्यक्तित्व आदि गुणों का समावेश होना आवश्यक है,

d) संरक्षक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होगा लेकिन उसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठकों में माननीय अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया जायेगा । वह बैठकों में शामिल होकर महासंघ की प्रगति के लिये सुझाव देगा और महासंघ का मार्गदर्शन करेगा,

e) वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एवं सामान्य बैठकों में एक आजीवन सदस्य की तरह वोट डाल सकता है किन्तु बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता है,

f) वह समय समय पर महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश एवं सुझावों द्वारा महासंघ की प्रगति के लिये कार्य करेगा ।

निष्कासनः

a) उसे महासंघ के हितों के विपरीत और असंवैधानिक गतिविधियों के लिये राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा महासंघ से निष्कासित किया जा सकता है,

b) किसी न्यायालय द्वारा अनुचित एवं गैरकानूनी कार्यों के लिये दोषी ठहराए जाने की स्थिति में उसे अयोग्य घोषित करके महासंघ से निष्कासित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्षः

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनकी जिम्मेदारी निभाने में सहायता करेगा,

b) राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रीय उपाध्यक्षः

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके कर्तव्यों के परिपालन में उनकी मदद करेगा,

b) प्रदेशों की विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करेगा एवं उनकी प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

राष्ट्रीय क्षेत्रीय अध्यक्षः

a) राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा 2 से 3 या अधिक प्रदेशों की दी गई विभिन्न जिम्मेदारियां को निभाते हुए वहां की अन्य गतिविधियों की रिपोर्ट एक पर्यवेक्षक के रूप में समय–समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को देगा,

b) अपने क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्षों के साथ समय–समय पर विभिन्न कार्यों की प्रगति समीक्षा की बैठक आयोजित करेगा और रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से विचार विमर्श करने के बाद आगे की रणनीति बनाएगा,

c) राज्यों की विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्ट / टिप्पणियां हर 6 महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष और सम्बन्धित प्रदेश अध्यक्षों को प्रस्तुत करेगा ।

राष्ट्रीय मुख्य महासचिवः

a) राष्ट्रीय मुख्य महासचिव महासंघ के "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" के रूप में कार्य करेगा,

b) वह महासंघ की ओर से सभी सदस्यों, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, राजनैतिक एवं सामाजिक दलों के साथ पत्राचार करने के लिये अधिकृत होगा।

c) वह कार्यालय के अभिलेखों एवं दस्तावेजों को सही तरीके से बनाकर उनके उचित रखरखाव को सुनिश्चित करेगा,

d) विभिन्न समितियों की बैठकों के लिये सूचना एवं कार्यसूची (Agenda) जारी करेगा और उनके कार्यवृत अगली कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा,

e) राष्ट्रीय कोर समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गए निर्णयों के आधार पर महासंघ की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए सम्बन्धित रिपोर्ट राष्ट्रीय कोर समिति को प्रस्तुत करेगा,

f) राष्ट्रीय कोर समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की सिफारिशों के अनुसार महासंघ की ओर से आचार संहिता एवं अन्य मामलों में सम्पूर्ण पत्राचार करने की जिम्मेदारी होगी,

g) महासंघ की ओर से अदालतों एवं संवैधानिक अधिकारियों के समक्ष हलफनामा एवं ज्ञापन प्रस्तुत करेगा,

h) महासंघ की कार्यपद्धति एवं उपलब्धियों के बारे में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत करेगा,

i) महासंघ के हित में राष्ट्रीय कोर समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे हुए अन्य कार्य करना होगा,

j) 5,000/- रुपये (रुपये पाँच हजार मात्र) अपने पास रखकर महासंघ की गतिविधियों में व्यय करने का अधिकार रहेगा । इस व्यय का हिसाब उसे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को एक माह में देना होगा,

k) वह यह सुनिश्चित करेगा कि आजीवन सदस्यों का अद्यतन (up to date) रिकॉर्ड राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा सही तरीके से बनाकर कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है,

l) राष्ट्रीय मुख्य महासचिव का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।

अतिरिक्त राष्ट्रीय मुख्य महासचिवः

a) राष्ट्रीय मुख्य महासचिव को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी मदद करेगा,

b) राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की सलाह पर राष्ट्रीय मुख्य महासचिव की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के रूप में कार्य करेगा ।

c) समय-समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष / राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा निर्देशित कार्यों को पूरा करेगा ।

राष्ट्रीय महासचिवः

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के सहायक के रूप में कार्य करेगा । इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा समय-समय पर दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करेगा,

b) आवश्यकतानुसार केन्द्रीय नेतृत्त्व द्वारा उन्हें क्षेत्रीय प्रदेशों के पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जायेगी जिसे पूरा करने के लिये उसे उन प्रदेशों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ पर जारी विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट हर दो महीने में केन्द्रीय नेतृत्त्व को देगा,

c) अपने क्षेत्र के प्रदेशों में विंग और समितियों की प्रगति रिपोर्ट हर तीन महीने में उनके पदाधिकारियों के साथ मिलकर तैयार करके केन्द्रीय नेतृत्त्व को प्रस्तुत करेगा,

d) हर तीन महीने में प्रदेशों के अध्यक्ष एवं मुख्य महासचिव से विचार विमर्श करके वहां की जमीनी हकीकत की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय नेतृत्त्व के साथ विचार विमर्श के बाद उचित कदम उठाने के लिये सलाह देगा जिससे कि उस प्रदेश में महासंघ को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके,

e) यह प्रादेशिक और केन्द्रीय इकाइयों के बीच एक सेतु का काम करेगा जिससे कि केन्द्र द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं को प्रदेशों में लागू किया जा सके।

राष्ट्रीय कोषाध्यक्षः

a) सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये एकत्रित की गई धनराशि एवं उनके द्वारा किये गए खर्च का पूरा ब्यौरा तय समय के अंदर प्राप्त करना और उसे कार्यालय के रिकॉर्ड में अंकित करना,

b) 31 मार्च के बाद उस वित्तीय वर्ष का वित्तीय स्थिति विवरण (Balance Sheet) एवं आय व्यय (Income Expenditure) का ब्योरा तैयार करके उसका लेखा परीक्षा कराने के लिये जिम्मेदार रहेगा,

c) इस लेखा परीक्षित विवरण को उसे अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करके उसे समिति से अनुमोदन कराने की जिम्मेदारी होगी । साथ में इसकी जानकारी साधारण सभा (General Body) की अगली बैठक में भी देनी होगी,

d) सदस्यों एवं पदाधिकारियों से प्राप्त धनराशि को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित शेड्यूल्ड / राष्ट्रीकृत बैंकों में तुरंत जमा करेगा । किन्हीं अपरिहार्य कारणों की स्थिति में धनराशि 15 दिनों के अन्दर जमा करनी होगी,

e) महासंघ मुख्यालय में दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए उसे रु. 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) तक अपने पास रखने का अधिकार होगा,

f) महासंघ के सभी आजीवन सदस्यों के रिकॉर्ड को एक रजिस्टर में सही स्थिति में बनाकर कार्यालय में रखना होगा,

g) सदस्यों एवं पदाधिकारियों को नये आजीवन सदस्य बनाने के लिये जारी की गई रसीद बुकों की जानकारी उचित निगरानी हेतु सम्बन्धित प्रदेश अध्यक्ष को भी देना होगा,

h) बैंकों से लेनदेन के रिकॉर्ड जैसे चेकबुक, पासबुक, पे-स्लिप आदि का रेकार्ड अप-टू-डेट स्थिति में रखना होगा और इसका विवरण एक रजिस्टर में अंकित करना होगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी की जानकारी तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष / राष्ट्रीय कोर समिति को देना होगा ।

संयुक्त कोषाध्यक्षः

a) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के सहायक के रूप में कार्य करेगा,

b) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा दी गई विशेष जिम्मेदारी को पूरा करेगा ।

सहायक कोषाध्यक्षः

a) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को उसके कर्तव्यों के पालन करने में सहायता करेगा,

b) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

प्रदेश अध्यक्षः

(कर्तव्यों और अधिकारों के लिए प्रदेश कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत अनुच्छेद–13 देखें)

प्रदेश मुख्य महासचिवः

(कर्तव्यों और अधिकारों के लिए प्रदेश कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत अनुच्छेद–13 देखें)

राष्ट्रीय संगठन सचिवः

a) राष्ट्रीय संगठन सचिव को समय–समय पर विभिन्न प्रदेशों में संगोष्ठी, सभा एवं बैठकें आदि आयोजित कराने की जिम्मेदारी होगी । इसके लिये वह सम्बन्धित प्रदेश के पदाधिकारियों से आपसी सहयोग के साथ विचार विमर्श करके आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी,

b) उसके साथ जुड़े प्रदेश अध्यक्षों के साथ मिलकर महासंघ को और सुदृढ़ बनाने का कार्य करेगा,

c) केन्द्रीय नेतृत्त्व द्वारा किसी प्रदेश से सम्बन्धित कोई विशेष जानकारी मांगने पर यह उस प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्र करेगा और उसे केन्द्रीय नेतृत्त्व को प्रस्तुत करेगा।

राष्ट्रीय मीडिया सेक्रेटरीः

a) राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं राष्ट्रीय प्रचार सचिव के मध्य सामंजस्य स्थापित करके महासंघ के विस्तार में योगदान देना,

b) प्रचार एवं प्रसार के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट, एलेक्ट्रोनिक एवं डिजिटल आदि प्लेटफार्मों आदि की सहायता से महासंघ के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करना,

c) महासंघ की बैठकों एवं कार्यक्रमों के दौरान कार्यक्रमों के बारे में सभी सदस्यों तक अपनी बात पहुँचाना एवं विभिन्न विषयों को समुचित ढंग से प्रस्तुत करना ।

राष्ट्रीय प्रभारी सोशल मीडियाः

a) सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक मेसेंजर, व्हाट्स ऐप, ब्लॉग एवं यू ट्यूब आदि के परिचालन की गहन जानकारी होना आवश्यक है,

b) सोशल मीडिया में महासंघ का अधिकृत अकाउंट खोलना और उनके परिचालन की देखरेख रखना होगा,

c) सोशल मीडिया में महासंघ के हितों के विरुद्ध उपलब्ध जानकारी पर नजर रखना एवं समय–मसय पर उचित कार्यवाही के लिये केंद्रीय या सक्षम पदाधिकारियों के संज्ञान में लाना होगा,

d) महासंघ के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के बारे में सभी सदस्यों तक जानकारी पहुँचाने में सोशल मीडिया का समुचित ढंग से उपयोग करना,

e) किसी सदस्य द्वारा गलत या अनुपयुक्त जानकारी देने पर त्वरित कार्यवाही करना होगा और अगर आवश्यक हो तो इसकी सूचना केंद्रीय नेतृत्त्व तक पहुँचाना होगा,

f) अगर कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये महासंघ के नाम का उपयोग करता है तो उसके विरुद्ध तुंरत आवश्यक कार्यवाही करनी होगी,

g) अगर कोई सदस्य सोशल मीडिया पर गलत एवं भ्रमित करने वाली जानकारी डालता है तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करनी होगी और इसकी सूचना केन्द्रीय नेतृत्त्व को देनी होगी ।

राष्ट्रीय उप प्रभारी सोशल मीडिया:

a) राष्ट्रीय प्रभारी सोशल मीडिया को उसके उत्तरदायित्वों को निभाने में पूर्ण सहयोग करना होगा,

b) सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर कड़ी नज़र रखनी होगी और अगर कोई विषय महासंघ के हितों के विरुद्ध हो तो उसकी सूचना तुरंत सक्षम पदाधिकारी को देना होगा ।

राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी:

a) महासंघ से सम्बंधित विषयों के विभिन्न मीडिया जैसे प्रिंट, एलेक्टॉनिक एवं डिजिटल में प्रकाशित समाचारों पर ध्यान रखना और उन्हें एकत्र करके समुचित रेकॉर्ड बनाना होगा । इस जानकारी को समय–समय पर केंद्रीय नेतृत्त्व के संज्ञान में लाना होगा,

b) महासंघ की गतिविधियों के बारे में जानकारी वेबस्थल (Website) में डालना होगा और समय–समय पर वेबसाइट को नवीनीकरण (Update) करना होगा । वेबसाइट में महासंघ की गतिविधियों की कोई भी जानकारी अधिकृत पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद ही अपलोड (Upload) की जायेगी,

c) महासंघ की कोई भी जानकारी प्रकाशन एवं प्रसार के लिये प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमों में देने के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष या सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा,

d) प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ समुचित समन्वय रखना होगा जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके ।

उप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी:

a) राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी को उसके दायित्व को पूरा करने में हर सम्भव सहायता करेगी,

b) देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न मीडिया में प्रकाशित होने वाले महासंघ से सम्बंधित समाचारों को एकत्र कर उनका विश्लेषण करना और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उचित जानकारी देगी ।

राष्ट्रीय प्रचार सचिव:

a) महासंघ के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के बारे में समाज के अंतिम सदस्य तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी होगी । इस कार्य को पूरा करने के लिये विभिन्न मीडिया माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है,

b) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एवं अन्य बैठकों के बारे में जानकारी समाज के सभी सदस्यों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी होगी,

c) प्रदेशों के प्रचार सचिवों के साथ समन्वय बनाकर वहाँ पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिये फलक पत्र (Banner) और प्रचार पुस्तिकाओं के छापने एवं उनके वितरण की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी रहेगी,

d) महासंघ और इसकी सभी गतिविधियों का प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार एवं प्रसार तथा इनका वेबसाईट में अपलोड करने में सहयोगा करना होगा ।

कानूनी सलाहकार:

a) महासंघ को सभी तरह के मामलों में उचित कानूनी सलाह देगा और मामलों को हल करने में सहयोग प्रदान करेगा,

b) आवश्यकतानुसार महासंघ की ओर से हलफनामा तैयार करके उचित कानूनी कार्यवाही हेतु सलाह देगा ।

आंतरिक लेखा परीक्षक:

a) समय–समय पर महासंघ के खातों, बैंक से सम्बन्धित लेनदेन का ब्यौरा एवं आय–व्यय के विरण की जाँच करेगा और उनमें व्याप्त विसंगतियों एवं त्रुटियों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को उचित कदम उठाने के लिये कहेगा,

b) राष्ट्रीय लेखा परीक्षक को लेखा प्रस्तुत करने से पहले खातों की आंतरिक रूप से लेखा–परीक्षा करना और अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव को सूचित करते हुए उचित परामर्श देगा,

c) महासंघ के आय–व्यय विवरण और वित्तीय स्थिति पत्र (Balance Sheet) की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लेखापरीक्षा करने में सहयोग देगा।

राष्ट्रीय लेखा परीक्षकः

a) वैधानिक लेखा परीक्षक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति / राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा आवश्यक योग्यता एवं अनुभव वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा । यह व्यक्ति महासंघ का सदस्य नहीं होगा । नियुक्त करते समय उसकी व्यावसायिक फीस भी तय की जायेगी,

b) वैधानिक लेखा परीक्षा का कार्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय मुख्य महासचिव की देखरेख में सम्पन्न कराया जायेगा,

c) वह समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के १ अप्रैल से ३१ मार्च तक के वित्तीय लेनदेन के बारे में लेखापरीक्षा करेगा,

d) वह महासंघ के अन्य रिकॉर्ड जैसे पूरे वर्ष में सम्पन्न विभिन्न बैठकों के वृत्तांत तथा पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा की कार्यवाही की रिपोर्ट (Action Taken Report) के अनुपालन की जाँच करके उसके बारे में उचित टिप्पणी के साथ रिपोर्ट देगा,

e) वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी गई त्रुटियों का विस्तार से उल्लेख करेगा और उनको दूर करने के लिये उचित सलाह देगा ।

राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारीः

a) राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर सभी चुनाव सम्बन्धी गतिविधियों एवं संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार चुनाव सम्पन्न कराने के लिए उत्तरदायी होगा,

b) राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक समूह के रूप में कार्य करेगा और सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण एकत्रित कर संकलित करेगा,

c) सभी प्रदेश अध्यक्षों के सहयोग से महासंघ के सभी आजीवन सदस्यों का त्रुटिरहित विवरण, संपर्क सूत्र एवं पूरा पता अपने अधीनस्थ सहयोगियों एवं प्रादेशिक चुनाव पदाधिकारियों की सहायता से एकत्र कर संकलित करेगा,

d) चुनाव की घोषणा के बाद महासंघ की प्रत्येक गतिविधियाँ, जैसे चुनाव सम्पन्न होने एवं शपथ ग्रहण आदि, राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी के मार्गदर्शन में सम्पन्न होगी,

e) महासंघ के हित में तत्कालीन विशेष परिस्थितियों के आधार पर चुनाव से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं जैसे चुनाव कार्यालय का चयन, वोटिंग का तरीका, पोलिंग की जगह एवं वोटों की गणना आदि विषयों पर न्यायसंगत निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा और यह सभी पर बाध्यकारी होगा ।

राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी:

राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी की चुनाव सम्बन्धी तैयारियों में उसकी सहायता करना और उसे सौंपी गयी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना ।

राष्ट्रीय प्रवक्ता:

a) महासंघ की ओर से प्रेस और मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत व्यक्ति होगा,

b) प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को महासंघ की विचारधारा के अनुरुप ही विवरण देगा और उसमें किसी भी तरह का अपना व्यक्तिगत विचार या राय शामिल नहीं करेगा,

c) प्रेस और मीडिया से बात करने से पहले जटिल और नीतिगत मुद्दों पर राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से सलाह लेकर आगे की कार्यवाही करेगा ।

नोट: विंग और समितियों के राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में विवरण अनुच्छेद-14 एवं 15 में दिया गया है ।

13. प्रदेश मामलों का प्रबन्धन:

13(1). प्रदेश मामलों का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाएगा

a) प्रदेश कोर समिति (SCC)

b) प्रदेश कार्यकारिणी समिति (SEC)

13(1)(1). प्रदेश कोर समिति (SCC) का गठन:

a) प्रदेश कोर समिति में न्यूनतम 5 (पाँच) और अधिकतम 7 (सात) सदस्य होंगे।

b) निम्नलिखित सदस्य पद के अनुसार (Ex Officio) "प्रदेश कोर कमिटी" के चेयरमैन एवं सदस्य रहेंगे ।

i. प्रदेश अध्यक्ष : चेयरमैन

ii. प्रदेश मुख्य महासचिव : सदस्य

c) शेष 3 (तीन) या 5 (पाँच) सदस्य प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य महासचिव द्वारा चुने जाएंगे,

d) प्रदेश कोर समिति के सदस्यों की लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव को जानकारी एवं रिकॉर्ड के लिये भेजना होगा ।

13(1)(2). प्रदेश कोर समिति के कर्तव्य और अधिकारः

a) प्रदेश कोर समिति, प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करेगी,

b) प्रदेश कोर समिति, समितियों तथा एवं विंगों के पदाधिकारियों के चयन के लिये राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को अनुशंसा भेजेगी,

c) प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों के चयन एवं नियुक्ति से सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण और आवश्यक मामलों के बारे में निर्णय लेगी,

d) प्रदेश कोर समिति निम्नलिखित मामलों में निर्णय लेगी ।

   i. प्रदेश से सम्बंधित नीतिगत मामले,

   ii. जिला / तहसील इकाइयों के अनुशासनात्मक मामले,

   iii. राष्ट्रीय कोर समिति की सहमति से प्रदेश स्तर के विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति के मामले,

   iv. वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाकर उनमें उचित कदम उठाने के मामले,

   v. महासंघ के हित में प्रदेश से सम्बन्धित अन्य मामले ।

13(1)(3). प्रदेश कार्यकारिणी समितिः

प्रदेश कार्यकारिणी समितियों का गठन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जाएगा ।

क्र.	पद का नाम	संख्या
1	प्रदेश अध्यक्ष	1
2	प्रदेश उपाध्यक्ष	10
3	प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष	5
4	प्रदेश कार्यकारी (एक्टिंग) अध्यक्ष	10
5	प्रदेश मुख्य महासचिव	1
6	प्रदेश कोषाध्यक्ष	1
7	प्रदेश उपकोषाध्यक्ष	2
8	प्रदेश सचिव	5
9	जिला अध्यक्ष	1
10	जिला उपाध्यक्ष	5
11	तहसील अध्यक्ष	1
12	तहसील उपाध्यक्ष	5

क्र.	पद का नाम	संख्या
13	प्रदेश संभागीय / क्षेत्रीय अध्यक्ष (जहाँ आवश्यक है)	10
14	प्रदेश उपसंभागीय / उपक्षेत्रीय अध्यक्ष (जहाँ आवश्यक है)	10
15	प्रदेश अध्यक्ष (महिला विंग)	1
16	प्रदेश मुख्य महासचिव (महिला विंग)	1
17	प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष (महिला विंग)	2
18	प्रदेश उपाध्यक्ष (महिला विंग)	5
19	प्रदेश अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	1
20	प्रदेश मुख्य महासचिव (युवा पुरुष विंग)	1
21	प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	2
22	प्रदेश उपाध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	5
23	प्रदेश अध्यक्ष (यवा महिला विंग)	1
24	प्रदेश मुख्य महासचिव (युवा महिला विंग)	1
25	प्रदेश उपाध्यक्ष (युवा महिला विंग)	5
26	प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष (युवा महिला विंग)	2
27	प्रदेश चेयरमैन राजनीतिक मामलों की समिति	1
28	प्रदेश उपचेयरमैन राजनीतिक मामलों की समिति	2
29	प्रदेश चेयरमेन कानूनी और न्याय मामलों की समिति	1
30	प्रदेश उपचेयरमैन कानूनी और न्याय मामलों की समिति	2
31	प्रदेश चेयरमैन प्रशासनिक मामलों की समिति	1
32	प्रदेश उपचेयरमैन प्रशासनिक मामलों की समिति	2
33	प्रदेश चेयरमैन धार्मिक मामलों की समिति	1
34	प्रदेश उपचेयरमैन धार्मिक मामलों की समिति	2
35	प्रदेश चेयरमैन सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मामलों की समिति	1
36	प्रदेश उपचेयरमैन सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मामलों की समिति	2
37	प्रदेश चेयरमैन विज्ञान एवं तकनीक मामलों की समिति	1
38	प्रदेश उपचेयरमैन विज्ञान एवं तकनीक मामलों की समिति	2
39	प्रदेश चेयरमैन खेल एवं संस्कृति मामलों की समिति	1

क्र.	पद का नाम	संख्या
40	प्रदेश उपचेयरमैन खेल एवं संस्कृति मामलों की समिति	2
41	प्रदेश चेयरमैन भ्रमण एवं यात्रा मामलों की समिति	1
42	प्रदेश उपचेयरमैन भ्रमण एवं यात्रा मामलों की समिति	2
43	प्रदेश चेयरमैन वैवाहिक मामलों की समिति	1
44	प्रदेश उपचेयरमैन वैवाहिक मामलों की समिति	2
45	प्रदेश चेयरमैन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मामलों की समिति	1
46	प्रदेश उपचेयरमैन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मामलों की समिति	2
47	प्रदेश चेयरमैन शैक्षिक मामलों की समिति	1
48	प्रदेश उपचेयरमैन शैक्षिक मामलों की समिति	2
49	प्रदेश चेयरमैन विपणन प्रचार और शिकायत राहत मामलों की समिति	1
50	प्रदेश उपचेयरमैन विपणन प्रचार और शिकायत राहत मामलों की समिति	2
51	प्रदेश चेयरमैन बैंकिंग और वित्त मामलों की समिति	1
52	प्रदेश उप चेयरमैन बैंकिंग और वित्त मामलों की समिति	2
53	प्रदेश चेरमैन कौशल और उद्यमिता विकास मामलों की समिति	1
54	प्रदेश उपचेरमैन कौशल और उद्यमिता विकास मामलों की समिति	2
55	प्रदेश चेयरमैन व्यापार एवं उद्योग मामलों की समिति	1
56	प्रदेश उपचेयरमैन व्यापार एवं उद्योग मामलों की समिति	2
57	प्रदेश चेयरमैन मिट्टी के बर्तन ईट भट्ठा एवं ग्रामीणविकास समिति	1
58	प्रदेश उपचेयरमैन मिट्टी के बर्तन ईट भट्ठा एवं ग्रामीणविकास समिति	2
59	प्रदेश संगठन सचिव	1
60	प्रदेश संगठन उपसचिव	5
61	प्रदेश कोषाध्यक्ष	1
62	प्रदेश उपकोषाध्यक्ष	2
63	प्रदेश मीडिया प्रभारी	1
64	प्रदेश प्रभारी सोशल मीडिया	1
65	प्रदेश उपप्रभारी सोशल मीडिया	2
66	प्रदेश प्रचार सचिव	1

क्र.	पद का नाम	संख्या
67	प्रदेश प्रचार उपसचिव	2
68	प्रदेश आंतरिक लेखा परीक्षक	1
69	प्रदेश आंतरिक उप लेखा परीक्षक	2
70	प्रदेश आंतरिक कानूनी सलाहकार	1
71	प्रदेश आंतरिक कानूनी उपसलाहकार	2
72	प्रदेश चुनाव अधिकारी	1
73	प्रदेश उपचुनाव अधिकारी	2
74	प्रदेश प्रवक्ता	1
75	प्रदेश पेट्रॉन (पुरुष)	15
76	प्रदेश पेट्रॉन (महिला)	15
77	कार्यकारिणी सदस्य	10
	समिति के कुल अधिकतम सदस्य	**208**
	वर्तमान में अधिकृत सदस्यों की संख्या	**130**

नोटः 1) प्रदेश कार्यकारिणी समिति में अधिकतम सदस्यों की स्ख्या भविष्य के विसातर को ध्यान में रखकर दिखाई गई है, किंतु वर्तमान में यह संख्या 130 तक संभावित है,

2) वर्तमान में व्याप्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महासंघ के संचालन के लिये प्रदेश, जिला, विंग और विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में शामिल किया जा सकता है और भविष्य में संबंधित कार्यकारिणी समितियों के गठन होने के बाद उन्हें वहाँ स्थानांतरित किया जा सकता है,

3) "प्रदेश कार्यकारिणी समिति" के लिये अधिकतम सदस्यों की संख्या 130 निर्धारित की गई है, किंतु यह संख्या "राष्ट्रीय कोर समिति" की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है । समिति के सदस्यों की संख्या का प्रावधान भविष्य में महासंघ के विस्तार को ध्यान में रखते हुये किया गया है । अगर कुछ पद खाली रहते हैं तो इससे समिति की कार्य प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,

4) प्रदेश अध्यक्ष को "प्रदेश कार्यकारिणी समिति" का शीघ्र गठन करके इसकी सूचना केंद्रीय कार्यालय को देनी होगी । अगर आवश्यक हो तो इस सम्बंध में केंद्रीय नेतृत्त्व से सलाह ली जा सकती है,

5) जिला और तहसील स्तर की कार्यकारिणी समितियों का गठन राष्ट्रीय एवं प्रदेश की कार्यकारिणी समितियों के अनुरूप किया जाएगा,

6) प्रदेश कार्यकारिणी समिति का गठन करते समय सिर्फ निर्धारित पदों पर ही नियुक्ति करनी है और प्रदेश स्तर पर अलग से नये पदों का निर्माण करना पूर्णरूप से असंवैधानिक है । अगर आवश्यक हो तो प्रस्ताव उचित प्रामाणिकता के साथ केंद्रीय नेतृत्त्व को अनुमोदन के लिये भेजें । इन पदों पर नियुक्ति केंद्र से अनुमति मिलने के बाद ही की जा सकती है । ऐसा न करने पर नये पदों पर की गई नियुक्तियाँ अवैध मानी जायेगी,

7) प्रदेश स्तर पर तीनों विंग (युवा, महिला एवं युवतियां) के पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सम्बंधित विंग (शाखा) को होगा । इन नियुक्तियों की जानकारी सम्बंधित प्रदेश अध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा । अगर किसी नियुक्ति से प्रदेश अध्यक्ष को आपत्ति है तो इसकी जानकारी उचित तथ्यों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु केंद्र को भेजनी होगी । केंद्र का निर्णय सभी पक्षों पर लागू होगा,

8) प्रदेश अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर पर सिर्फ आजीवन सदस्यों को ही पदाधिकारियों के पद पर नियुक्त किया गया है। अगर कोई पदाधिकारी आजीवन सदस्य नहीं है तो उसकी नियुक्ति अवैध मानी जायेगी,

9) "प्रदेश कार्यकारिणी समिति" के सदस्यों की लिस्ट समिति के गठन के तुरंत बाद केंद्रीय कार्यालय को जानकारी एवं रिकॉर्ड के लिये भेजना होगा,

10) प्रदेश अध्यक्ष को तय समय सीमा पर "प्रदेश कार्यकारिणी समिति" की बैठक का आयोजन करना होगा और बैठक के वृत्तांत केंद्रीय कार्यालय को भेजना होगा,

11) प्रदेश में होने वाली विभिन्न विंग जैसे महिला, युवा महिला एवं युवा पुरुष एवं समितियों की विभिन्न गतिविधियों का संचालन प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास में लेकर ही करना होगा,

12) विंग और समितियों के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों का चयन एवं नियुक्ति की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को देना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर नियुक्तियाँ अवैध घोषित की जा सकती है,

13) "प्रदेश कार्यकारिणी समिति" का आकार उपर्युक्त संख्या बल तक ही सीमित रहेगा लेकिन महासंघ के हित में राष्ट्रीय कोर समिति के अनुमोदन से यह संख्या बढ़ाई जा सकती है । महासंघ में किसी पद / पदों की अपूर्ति गैर कानूनी नहीं होगी और इससे महासंघ के कामकाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,

14) महासंघ का सदस्य एक समय में केवल एक ही पद ग्रहण कर सकता है लेकिन महासंघ के हित में राष्ट्रीय कोर समिति की सहमति से किसी सदस्य को कुछ अवधि के लिये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है,

15) जिला और तहसील स्तर की कार्यकारिणी समितियों का गठन राष्ट्रीय और प्रदेश की कार्यकारिणी समितियों के अनुरूप किया जायेगा,

16) जिला और तहसील स्तर में समारोह और सम्मेलन आयोजित करने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध स्थानीय स्तर पर समितियाँ, जिसमें कम से कम 3 आजीवन सदस्य शामिल हों, राष्ट्रीय कोर समिति की अनुमति से बनाई जा सकती है,

17) इन क्षेत्रीय समितियों द्वारा जमा की गई धनराशि का उपयोग एवं हिसाब किताब रखने एवं लेखापरीक्षित रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने की ज़िम्मेदारी इन्हीं समितियों की होगी, इस धनराशि के दाताओं को महासंघ की सदस्यता पाने का कोई अधिकार नहीं होगा,

18) बड़े राज्यों के मामलों को सुचारू रूप से चलाने के लिये इन्हें उनके आकार के आधार पर दो, तीन, चार या पाँच भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, इन क्षेत्रों के प्रदेश अध्यक्षों का नामकरण उस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति या शासन द्वारा नामित क्षेत्रों के आधार पर की जायेगी । प्रदेश के इन विभिन्न भागों के लिये अलग-अलग स्वतंत्र प्रभार वाले प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जायेगी। इन प्रदेश अध्यक्षों को अन्य प्रदेशों की तरह अपनी-अपनी प्रादेशिक कार्यकारिणी समितियों के गठन का अधिकार रहेगा,

19) यह क्षेत्रीय भाग अलग-अलग प्रदेशों की तरह आपसी सहयोग के साथ कार्य करेंगे और अपनी-अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से केंद्रीय नेतृत्त्व या अन्य पदाधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे,

20) राज्यों के विभाजन का अंतिम फैसला राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा जिसमें संबंधित प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी शामिल होंगे, यह समिति इन विभाजित भागों के अध्यक्षों के चुनाव / नामांकन के लिये प्रस्ताव उचित अनुसंशा के साथ केंद्रीय नेतृत्त्व को भेजेगी ।

13(1)(4). प्रदेश कार्यकारिणी समिति की अवधि:

a) प्रदेश कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 5 (पाँच) वर्ष का होगा,

b) निर्वाचित सदस्यों अर्थात प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य महासचिव के कार्यकाल की अवधि 5 (पाँच) वर्ष की होगी,

c) महासंघ के हित में राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत /चयनित सदस्यों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया जा सकता है या उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है ।

13(2). अधिकार और कर्तव्य:

13(2)(1). प्रदेश कार्यकारिणी समिति के अधिकार और कर्तव्य:

a) प्रदेश कार्यकारिणी समितियों की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी,

b) प्रदेश कार्यकारिणी समितियों के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:

   i. प्रदेश इकाई की गतिविधियों को नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत नियंत्रित करते हुए सम्पन्न कराना,

ii. प्रदेश इकाई के कार्यक्रमों के संचालन में लगने वाली धनराशि पर नियंत्रण करना,

c) प्रदेश कार्यकारिणी समिति के पास जिला और तहसील स्तर की समितियों के सभी अधिकार होंगे,

d) बड़े प्रदेशों की गतिविधियों को सुचार रूप से चलाने के लिये प्रदेश को दो या अधिक क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रदेश कोर कमिटी केन्द्रीय नेतृत्त्व को भेज सकती है । केन्द्र प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत विभाजन की प्रक्रिया पूरी करने के लिये आवश्यक कदम उठाएगा,

e) इन विभाजित क्षेत्रों के प्रभारियों का चयन राष्ट्रीय कोर समिति की सहमति से गठित समिति, जिसमें सम्बन्धित प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, द्वारा किया जायेगा।

13(2)(2). प्रदेश कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार:

प्रदेश अध्यक्ष:

a) प्रदेश की सम्पूर्ण गतिविधियों के लिये अपने प्रदेश का मुखिया होगा और प्रदेश की हर एक घटना के लिये केन्द्रीय नेतृत्त्व के प्रति उत्तरदायी होगा,

b) प्रदेश की प्रत्येक गतिविधि को संवैधानिक प्रावधानों के अंदर सम्पन्न कराने के लिये उत्तरदायी होगा,

c) महासंघ को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये केन्द्रीय नेतृत्त्व द्वारा समय-समय पर लिये गए निर्णयों एवं निर्देशों का पालन करेगा,

d) समय-समय पर विभिन्न सम्मेलन एवं बैठकें आयोजित करेगा और उनके वृत्तांत (Minutes) जारी करते हुए उनके प्रति मुख्यालय को भेजेगा,

e) इन बैठकों के आधार पर उठाये गए क़दमों का सम्पूर्ण विवरण / रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगा और जरुरत पड़ने पर निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्रीय नेतृत्त्व द्वारा मांगे जाने पर यह रिकॉर्ड / रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा,

f) प्रदेश में केन्द्र द्वारा नियुक्त / नामित अन्य पदाधिकारियों के साथ उचित समन्वय के साथ काम करेगा,

g) प्रदेश में कार्यरत सभी प्रादेशिक एवं केन्द्रीय पदाधिकारियों को सभी तरह की सहायता और मदद प्रदान करेगा । उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिये जरुरी सूचना एवं प्रादेशिक विवरण प्रदान करेगा,

h) प्रदेश में कार्यरत विभिन्न राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करेगा और उपलब्धियों के बारे में रिपोर्ट हर तीन महीने में अपनी टिप्पणी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रेषित करेगा ।

प्रदेश उपाध्यक्षः

a) प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी गयी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहयोग करेगा,

b) संविधान के ढांचे के अंदर रहकर प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करेगा,

c) प्रदेश अध्यक्ष को केन्द्रीय नेतृत्त्व द्वारा मांगी गई जानकारी एवं रिपोर्ट भेजने में मदद करेगा।

प्रदेश मुख्य महासचिवः

a) "राष्ट्रीय मुख्य महासचिव" के लिये संविधान की धारा 12(4) में वर्णत सभी जिम्मेदारियां एवं अधिकार, प्रदेश मुख्य महासचिव के लिये भी लागू होंगे,

b) प्रदेश अध्यक्ष को उसे सौंपी गयी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसे पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा,

c) केन्द्रीय नेतृत्त्व द्वारा प्रदेश से सम्बन्धित समय-समय पर मांगी गई जानकारी एवं रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर तैयार करके भेजेगा,

d) अपने प्रदेश में सम्पन्न हुई विभिन्न बैठकों के वृत्तांत एवं अन्य गतिविधियों / घटनाओं का रिकॉर्ड बनाकर अच्छी तरह से संभालकर रखेगा और मांगे जाने पर केन्द्रीय नेतृत्त्व को भेजेगा ।

प्रदेश सचिवः

a) प्रदेश अध्यक्ष को केन्द्रीय नेतृत्त्व द्वारा दिए गए विशेष कार्यों या विशेष जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसके साथ मिलकर कार्य करेगा और उसे पूर्ण सहयोग देगा,

b) राष्ट्रीय अध्यक्ष / प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मांगी गई विशेष जानकारी एकत्र करके उनको प्रेषित करेगा । इसके अतिरिक्त सौंपे गये विशेष कार्यों को पूरा करेगा ।

c) संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिये सुझाव देगा और केन्द्रीय नेतृत्त्व एवं प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने में सहयोग करेगा ।

प्रदेश संगठन सचिवः

a) प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उप संगठन सचिवों के साथ पूर्ण समन्वय के साथ काम करेगा,

b) प्रदेश अध्यक्ष और अन्य प्रदेश पदाधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करके विभिन्न मामलों / गतिविधियों की समीक्षा करेगा तथा आवश्यक कार्यवाही करेगा,

c) प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों एवं बैठकों के आयोजन की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा,

d) प्रदेश की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा के लिये बैठकों का आयोजन करेगा एवं उनकी रिपोर्ट केन्द्रीय नेतृत्त्व को भेजेगा ।

प्रदेश संगठन उपसचिव:

प्रदेश संगठन सचिव और प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्ण समन्वय के साथ काम करेगा ।

प्रदेश कोषाध्यक्ष:

a) "राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष" की तरह वे सभी जिम्मेदारियां निभाएगा जो कि संविधान के अनुच्छेद 12(4) में वर्णित हैं,

b) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की तरह सभी रिकॉर्ड अच्छी तरह से सम्भालकर रखेगा एवं प्रदेश अध्यक्ष या केन्द्रीय नेतृत्त्व द्वारा मांगने पर निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा और आवश्यक रिपोर्ट भेजेगा।

प्रदेश उप कोषाध्यक्ष:

प्रदेश कोषाध्यक्ष को उसकी जिम्मेदारियां एवं कर्तव्यों को पूरा करने में पूर्ण सहयोग करेगा ।

प्रदेश मीडिया प्रभारी:

a) महासंघ की प्रदेश इकाई के कार्य और उपलब्धियों की संक्षिप्त जानकारी देने के लिये सभी तरह के प्रसार माध्यमों को, जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि, महासंघ की तरफ से अधिकृत व्यक्ति होगा,

b) मीडिया को रिपोर्ट जारी करने से पहले, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श एवं परामर्श करेगा और फिर मीडिया के लिये रिपोर्ट तैयार करेगा,

c) प्रदेश की विभिन्न घटनाओं और मामलों की जानकारी फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter) और वॉट्स-ऐप (Whatsapp) जैसे विभिन्न सोशल मीडिया में अपलोड करने के पहले प्रदेश अध्यक्ष की सलाह से जानकारी लेगा तथा विषयवस्तु के बारे में अच्छी तरह से जाँच करेगा ।

प्रदेश प्रचार सचिव:

a) प्रदेश में सभी प्रकार की प्रचार गतिविधियों के लिये प्रभारी रहेगा,

b) "प्रजापति साहित्य" को इकट्ठा करने, छपाई और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार होगा,

c) प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों एवं आयोजनों में महासंघ की गतिविधियों से सम्बन्धित बैनर एवं पोस्टर लगाने के लिए जिम्मेदार होगा ।

प्रदेश प्रचार उपसचिव:

प्रदेश प्रचार सचिव को उसके उत्तरदायित्वों को पूरा करने में मदद करेगा ।

प्रदेश आंतरिक लेखा परीक्षक:

a) प्रदेश के खातों और अभिलेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा करेगा और जहां भी आवश्यक हो, उचित कदम उठाने के लिये प्रदेश अध्यक्ष को सलाह देगा,

b) खातों और अभिलेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य महासचिव को प्रस्तुत करेगा ।

प्रदेश आंतरिक उपलेखा परीक्षक:

प्रदेश आंतरिक लेखा परीक्षक को उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा ।

प्रदेश आंतरिक कानूनी सलाहकार:

a) जब भी आवश्यक होगा, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य प्रदेश पदाधिकारियों को कानूनी सलाह प्रदान करेगा,

b) कानूनी रिपोर्ट / अदालतों में हलफनामा और विभिन्न सरकारी एजेंसियों से सम्बन्धित मुद्दों पर राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार के साथ मिलकर काम करेगा ।

c) प्रदेश के कानूनी सलाहकार को उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा।

प्रदेश चुनाव अधिकारी:

राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ मिलकर काम करेगा और अपने प्रदेश की चुनाव सम्बन्धी जानकारी / विवरण एकत्रित और संकलित करके राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी को प्रेषित करेगा।

प्रदेश उपचुनाव अधिकारी:

राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा प्रदेश चुनाव अधिकारी को सौंपे गये कार्यों को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करेगा ।

प्रदेश प्रवक्ता:

प्रदेश की विभिन्न घटनाओं एवं विभिन्न जानकारियों के बारे में प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बोलने के लिये अधकृत रहेगा ।

नोट: विंग (Wings) एवं समिति (Committees) के प्रादेशिक पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकारों का विवरण अनुच्छेद 14 और 15 में दिया गया है ।

14. विंगों (शाखाओं) का गठन:

14(1). विंग:

1) युवा पुरुष विंग

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	:	1
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	:	5
राष्ट्रीय मुख्य महासचिव (युवा पुरुष विंग)	:	1

प्रदेश स्तर परः

प्रदेश अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	:	1
प्रदेश उपाध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	:	5
प्रदेश मुख्य महासचिव (युवा पुरुष विंग)	:	1
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	:	2
प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	:	5

जिला स्तर परः

जिला अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	:	1
जिला उपाध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	:	5

तहसील स्तर परः

तहसील अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	:	1
तहसील उपाध्यक्ष (युवा पुरुष विंग)	:	5

2) महिला विंग

राष्ट्रीय स्तर परः

राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला विंग)	:	1
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (महिला विंग)	:	2
राष्ट्रीय मुख्य महासचिव (महिला विंग)	:	1

प्रदेश स्तर परः

प्रदेश अध्यक्ष (महिला विंग)	:	1
प्रदेश उपाध्यक्ष (महिला विंग)	:	5
प्रदेश मुख्य महासचिव (महिला विंग)	:	1
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष (महिला विंग)	:	2
प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष (महिला विंग)	:	5

जिला स्तर परः

जिला अध्यक्ष (महिला विंग)	:	1
जिला उपाध्यक्ष (महिला विंग)	:	5

तहसील स्तर परः

तहसील अध्यक्ष (महिला विंग)	:	1
तहसील उपाध्यक्ष (महिला विंग)	:	5

3) युवा महिला विंग

राष्ट्रीय स्तर परः

राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग)	:	1
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (युवा महिला विंग)	:	2
राष्ट्रीय मुख्य महासचिव (युवा महिला विंग)	:	1

प्रदेश स्तर परः

प्रदेश अध्यक्ष (युवा महिला विंग)	:	1
प्रदेश उपाध्यक्ष (युवा महिला विंग)	:	5
प्रदेश मुख्य महासचिव (युवा महिला विंग)	:	1
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष (युवा महिला विंग)	:	2
प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष (युवा महिला विंग)	:	5

जिला स्तर परः

जिला अध्यक्ष (युवा महिला विंग)	:	1
जिला उपाध्यक्ष (युवा महिला विंग)	:	5

तहसील स्तर परः

तहसील अध्यक्ष (युवा महिला विंग)	:	1
तहसील उपाध्यक्ष (युवा महिला विंग)	:	5

नोटः

a) युवा पुरुष, युवा महिला एवं महिला विंग महासंघ की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी और इन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की तरह अपनी-अपनी कार्यकारिणी समितियों के गठन करने का अधिकार होगा। महासंघ के हित में एकजुटता की नीति का पालन करते हुये महासंघ की प्रत्येक प्रादेशिक यूनिट के साथ सामंजस्य बिठाकर कार्य करने की आवश्यकता होगी, इसलिये प्रत्येक महत्त्वशील विषयों से सम्बंधित निर्णयों की जानकारी सम्बंधित प्रदेश के अध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा,

b) इन शाखाओं (विंग) के प्रादेशिक पदाधिकारियों जैसे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मुख्य महासचिव, जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष आदि के नियुक्तियों की जानकारी अपसी सहजता बनाये रखने के लिये सम्बंधित प्रदेश अध्यक्ष को देना आवश्यक होगा,

c) तीनों विंग, राष्ट्रीय और प्रदेश की इकाइयों की तरह, अपने-अपने विंग की "राष्ट्रीय एवं प्रदेश कोर समिति" तथा "राष्ट्रीय / प्रदेश कार्यकारिणी समिति" का गठन करेंगे और समितियों की लिस्ट गठन के तुरंत बाद केंद्रीय नेतृत्त्व एवं सम्बंधित प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी एवं रिकॉर्ड के लिए भेजेंगे, इसकी जिम्मेदारी सम्बंधित विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी,

d) प्रत्येक विंग का राष्ट्रीय मुख्य महासचिव उसके विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली "कोर समिति" या "कार्यकारिणी समिति" द्वारा लिये गए निर्णयों को लागू करायेगा,

e) प्रत्येक विंग के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन और नियुक्ति "राष्ट्रीय नियुक्ति समिति" द्वारा किया जायेगा,

f) प्रत्येक विंग के प्रदेशों / जिला / तहसील स्तर के पदाधिकारियों का चयन एवं नियुक्ति सम्बंधित विंग की "राष्ट्रीय नियुक्ति समिति" द्वारा किया जायेगा । अगर आवश्यक हो तो इस सम्बंध में केंद्रीय नेतृत्त्व से सलाह ली जा सकती है,

g) अगर किसी कारणवश किसी विंग में कोई पद कुछ समय के लिए खाली रहता है तो इससे महासंघ की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा,

h) राज्यों में गोष्ठी और सम्मेलनों के आयोजन के लिये जरुरी धनराशि की व्यवस्था करने के लिये स्थानीय स्तर पर आजीवन सदस्यों की समितियां "राष्ट्रीय कोर समिति / प्रदेश कोर समिति" की सहमति से बनाई जा सकती है । इन समितियों में आर्थिक सहयोग के आधार पर लोगों को महासंघ की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा,

i) ये क्षेत्रीय समितियां इस तरह के धन के उपयोग एवं लेखा-जोखा के लिए जिम्मेदार होगी और राष्ट्रीय कोर समिति / प्रदेश कोर समिति को सालाना लेखा परीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा,

j) विंग्स की विभिन्न समितियों के गठन होने तक उस विंग के विभिन्न निर्णय एवं नियुक्तियाँ उस विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्य महासचिव मिलकर करेंगे,

k) महासंघ के हित में किसी भी राष्ट्रीय, प्रादेशिक स्तर की नियुक्तियाँ केंद्रीय नेतृत्त्व द्वारा की जा सकती हैं,

l) साधारणतया पुरुष एवं महिला युवा विंग में 40 वर्ष तक की उम्र सीमा तय की गई है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में महासंघ के हित को ध्यान में रखते हुए 40 वर्ष या इससे कम उम्र के सदस्यों को महिला विंग की समितियों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश की कार्यकारिणी समितियों या अन्य समितियों (अनुच्छेद-15) में शामिल किया जा सकता है,

m) किसी सदस्य को महासंघ की विभिन्न समितियों में नियुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि वह महासंघ की किसी अन्य समिति में शामिल न हो। इन परिस्थितियों में पहले की नियुक्ति ही वैध मानी जायेगी।

14(2). विंगों के पदाधिकारियों के कर्तव्य / अधिकारः

14(2)(1). युवा पुरुष विंगः

राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग):

a) युवा पुरुषों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करके महासंघ की छत्रछाया में काम करने के लिये प्रेरित करने की जिम्मेदारी होगी,

b) प्रत्येक प्रदेश में वहां की प्रादेशिक इकाई की सहायता से अपने विंग की प्रदेश कोर समिति एवं प्रदेश कार्यकारिणी समिति का गठन करेगा । इन समितियों के साथ मिलकर उस प्रदेश की प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर की टीमों का गठन करेगा,

c) सभी प्रदेशों में हर एक स्तर की समितियों के साथ समन्वय बिठाकर उनके साथ हर छः महीने में प्रगति समीक्षा की बैठकों का आयोजन करेगा और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेगा,

d) महासंघ के लक्ष्य और उद्देश्यों को अपने समाज के आखिरी सदस्य तक पहुँचाने एवं उनको राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी समितियों की बैठकों का आयोजन करने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (युवा पुरुष विंग):

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) को सौंपे गये लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसकी सहायता करेगा,

b) प्रादेशिक पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करके प्रगति रिपोर्ट लेगा और इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) को सौंपेगा।

राष्ट्रीय मुख्य महासचिव (युवा पुरुष विंग):

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) की सहमति से सभी प्रादेशिक टीमों के सदस्यों से संवाद स्थापित कर प्रतिपुष्टि (Feedback) लेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचित करेगा,

b) युवा पुरुष विंग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) के साथ मिलकर काम करेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) के अनुमोदन के बाद विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा तथा उनकी प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रदेश अध्यक्ष को भेजेगा,

c) राष्ट्रीय इकाई द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों को अपने विंग के सभी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पदाधिकारियों तक प्रेषित करेगा और उनसे प्रतिपुष्टि (Feedback) लेकर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रस्तुत करेगा,

d) राष्ट्रीय इकाई द्वारा मांगी गई विशेष जानकारी या रिपोर्ट अपने विंग के पदाधिकारियों से सम्पर्क करके एकत्रित करेगा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेगा,

e) इसके साथ विंग की हर छः महीने की प्रगति रिपोर्ट अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) के साथ मिलकर तैयार करेगा और इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेगा।

प्रदेश अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग):

a) सभी प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) को रिपोर्ट करना होगा, लेकिन जब भी आवश्यकता होगी, रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भेजेगा,

b) समय-समय पर जारी सरकारी नीतियों के अनुसार प्रदेश में युवा लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता और स्वयं रोजगार के क्षेत्र में कार्य करेगा और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेगा,

c) अपने प्रदेशों में अपनी विंग के जिला एवं तहसील अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष की सहमति से करेगा और इसकी जानकारी उसे प्रदेश के अध्यक्ष को अनिवार्य रूप से देगा ।

प्रदेश उपाध्यक्ष (युवा पुरुष विंग):

प्रदेश अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) को उसकी जिम्मेदारी निभाने एवं महासंघ के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायता करेगा ।

प्रदेश मुख्य महासचिव (युवा पुरुष विंग):

a) प्रदेश अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) के साथ मिलकर प्रादेशिक, जिला और तहसील स्तर की कार्यकारिणी समितियों के गठन में सहयोग करेगा,

b) प्रदेश अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) की सहमति से अपने विंग के प्रदेश/जिला/तहसील स्तर के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा । यदि प्रदेश मुख्य महासचिव (युवा पुरुष विंग) की नियुक्ति लंबित है, तो उसका कार्य प्रदेश अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) द्वारा किया जायेगा,

c) अपने विंग की विभिन्न समीक्षा और प्रगति रिपोर्ट तैयार करके अपने प्रदेश अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा । प्रदेश अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा पुरुष विंग) को भेजेगा ।

14(2)(2). महिला विंग:

राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला विंग):

a) प्रत्येक प्रदेश में वहां की प्रादेशिक इकाई की सहायता से अपने विंग की प्रदेश कोर समिति एवं प्रदेश कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी,

b) प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके, प्रत्येक प्रदेश में महिला विंग के प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर की टीमों का गठन करने की जिम्मेदारी होगी,

c) देश में महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बन्धित गतिविधियों एवं बैठकों के लिए प्रभारी रहेगी,

d) राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक प्रदेश के लिये महासंघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये लक्ष्य निर्धारित करेगी और उनके साथ वर्ष में दो बार बैठक आयोजित करके लक्षित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेगी,

e) प्रदेशों की प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी और उनके साथ विचार विमर्श के बाद भविष्य के लिये विकास के मुद्दों की रूपरेखा तय करेगी ।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (महिला विंग):

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला विंग) को सौंपे गये लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसकी सहायता करेगी,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से चर्चा करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेगी और उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला विंग) को प्रस्तुत करेगी ।

राष्ट्रीय मुख्य महासचिव (महिला विंग):

a) साधारणतः सभी सम्बन्धित समितियों एवं सदस्यों से राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला विंग) की तरफ से संवाद करेगी और जरुरी जानकारी प्राप्त करेगी,

b) राष्ट्रीय महिला विंग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला विंग) को सहयोग देगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला विंग) के अनुमोदन के बाद नियुक्ति पत्र जारी करेगी और उसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रदेश अध्यक्ष को भेजेगी,

c) राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला विंग) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अर्द्ध वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेगी ।

प्रदेश अध्यक्ष (महिला विंग):

a) वह राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग के साथ मिलकर काम करेगी और आवश्यकतानुसार मांगी गई जानकारी एवं विवरण प्रस्तुत करेगी,

b) अपने प्रदेश में अपनी विंग के जिला एवं तहसील अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष की सहमति से करेगी और इसकी जानकारी उस प्रदेश के अध्यक्ष को अनिवार्य रूप से देगी । वह प्रदेश के अध्यक्षों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने में उनका मार्गदर्शन करेगी,

c) वह महिलाओं की बैठकें एवं सामाजिक समारोह आयोजित करेगी और उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाएगी,

d) वह राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी और उपलब्ध अवसरों का उपयोग करके महिला सदस्यों की प्रगति एवं उत्थान के लिये काम करेगी ।

प्रदेश उपाध्यक्ष (महिला विंग):

a) अपने प्रदेश अध्यक्ष (महिला विंग) के मार्गदर्शन में उसे आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए मिलकर काम करेगी,

b) वह बड़ी संख्या में महिलाओं को संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये उचित मार्गदर्शन करेगी ।

प्रदेश मुख्य महासचिव (महिला विंग):

a) प्रदेश अध्यक्ष (महिला विंग) के साथ प्रदेश, जिला और तहसील स्तर की कार्यकारिणी समितियों के गठन में सहयोग करेगी,

b) प्रदेश अध्यक्ष (महिला विंग) की सहमति से अपने विंग के प्रदेश / जिला एवं तहसील स्तर के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगी, यदि प्रदेश मुख्य महासचिव की नियुक्ति लंबित है, तो उसका कार्य प्रदेश अध्यक्ष (महिला विंग) द्वारा किया जायेगा,

c) अपने विंग की विभिन्न समीक्षा और प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे अपने प्रदेश अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी और प्रदेश अध्यक्ष अपनी टिप्पणी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला विंग) को भेजगी ।

14(2)(3). युवा महिला विंग:

राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग):

a) प्रत्येक प्रदेश में युवा (महिला विंग) के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को नियुक्त करने के लिए, प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों के साथ परामर्श करके समन्वय स्थापित करेगी,

b) युवा महिलाओं के बीच महासंघ के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्रचारित करने के लिए जिम्मेदार होगी और उन्हें महासंघ में शामिल होने और महासंघ को मजबूत करने में उन्हें अपनी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए राजी करेगी,

c) युवा महिलाओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए जागरुक और सशक्त बनाने के लिए कार्य करेगी,

d) प्रदेश युवा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों (युवा महिला विंग) के साथ संवाद एवं समन्वय बनाकर महासंघ को सुदृढ़ बनाने में योगदान देगी,

e) प्रदेश इकाइयों के साथ अर्द्धवार्षिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करेगी और उस दौरान किये गए कार्यों की समीक्षा करके प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेगी और अपनी टिप्पणी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेगी ।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (युवा महिला विंग):

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग) को दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में आवश्यक योगदान प्रदान करेगी,

b) अपने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करेगी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग) को भेजेगी ।

राष्ट्रीय मुख्य महासचिव (युवा महिला विंग):

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग) की तरफ से सभी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समितियों एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करके जरुरी सूचना एवं विवरण प्राप्त करेगी और उसे संकलित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग) को प्रस्तुत करेगी,

b) युवा (महिला विंग) की राष्ट्रीय कोर समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन के लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग) के साथ काम करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग) के अनुमोदन के बाद नियुक्ति पत्र जारी करेगी तथा उनकी प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रदेश अध्यक्ष को भेजेगी,

c) राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग) की सहमति से सभी प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय महिला पदाधिकारियों से नियमित रूप से सम्पर्क करके उनको दिए गए लक्ष्यों की याद दिलाएगी और इसकी प्रतिपुष्टि (Feedback) राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा (महिला विंग) को देगी,

d) राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग) के साथ संयुक्त रूप से अर्द्ध वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगी और अपनी टिप्पणी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेगी ।

प्रदेश अध्यक्ष (युवा महिला विंग):

a) प्रदेश की "युवा महिला विंग" की सभी गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की जानकारी, प्रगति रिपोर्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मांगी गई सभी तरह की रिपोर्ट उचित समय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग) एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रेषित करेगी,

b) समय-समय पर जारी की गई सरकारी नीतियों के अनुसार शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने प्रदेश में युवा महिलाओं के लिए काम करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग) को अपनी गतिविधियों के बारे में सूचित करेगी,

c) अपने प्रदेशों में अपनी विंग के जिला एवं तहसील अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष की सहमति से करेगी और इसकी जानकारी उस प्रदेश के अध्यक्ष को अनिवार्य रूप से देगी ।

प्रदेश उपाध्यक्ष (युवा महिला विंग):

अपने प्रदेश अध्यक्ष (युवा महिला विंग) को सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसकी सहायता करेगी ।

प्रदेश मुख्य महासचिव (युवा महिला विंग):

a) अपने प्रदेश की प्रदेश, जिला और तहसील स्तर के कार्यकारिणी समितियों के गठन में प्रदेश अध्यक्ष (युवा महिला विंग) के साथ मिलकर काम करेगी,

b) प्रदेश अध्यक्ष (युवा महिला विंग) की सहमति से अपने विंग के प्रदेश/जिला/तहसील स्तर के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगी । यदि प्रदेश मुख्य महासचिव (युवा महिला विंग) की नियुक्ति लंबित है, तो उसका कार्य प्रदेश अध्यक्ष (युवा महिला विंग) द्वारा किया जायेगा,

c) अपने विंग की विभिन्न समीक्षा और प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे प्रदेश अध्यक्ष (युवा महिला विंग) को प्रस्तुत करेगी जो आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा महिला विंग) को भेजेगी ।

15. समितियों का गठनः

a) प्रजापति समुदाय के सदस्यों के लिये विशिष्ट सेवाओं के विस्तार एवं प्रसारण के लिए, निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाएगा,

b) राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके विवेकानुसार "राष्ट्रीय कोर समिति" से परामर्श करके समितियों के गठन के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेने का अधिकार रहेगा।

15(1). समितियाँः

1) राजनीतिक मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर परः

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर परः

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर परः

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर परः

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

2) शैक्षिक मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर परः

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर परः

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

3) न्यायिक और कानूनी मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

5) वित्तीय और बैंकिंग मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

6) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

7) प्रशासनिक मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

8) धार्मिक मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

9) स्वास्थ्य और चिकित्सा राहत मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

10) भ्रमण एवं यात्रा मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

11) वैवाहिक मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

12) खेल और सांस्कृतिक मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

13) विपणन संवर्धन (Marketing Promotion) और शिकायत राहत मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

14) कौशल और उद्यमिता विकास मामलों की समिति

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

15) व्यापार एवं उद्योग विकास मामलों की समिति:

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

16) मिट्टी के बर्तन एवं मूर्तियाँ, ईंट भट्ठा एवं ग्रामीण विकास मामलों की समिति:

राष्ट्रीय स्तर पर:

राष्ट्रीय चेयरमैन	:	1
राष्ट्रीय उपचेयरमैन	:	5

प्रदेश स्तर पर:

प्रदेश चेयरमैन	:	1
प्रदेश उपचेयरमैन	:	5

जिला स्तर पर:

जिला चेयरमैन	:	1
जिला उपचेयरमैन	:	5

तहसील स्तर पर:

तहसील चेयरमैन	:	1
तहसील उपचेयरमैन	:	5

15(2). समितियों के पदाधिकारियों का चयन और नियुक्तियां

1) राष्ट्रीय चेयरमैन एवं राष्ट्रीय उपचेयरमैन:

राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और प्रदेश कोर समिति / प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सिफारिशों के आधार पर "राष्ट्रीय नियुक्ति समिति" द्वारा चयन और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा नियुक्ति की जायेगी ।

2) प्रदेश चेयरमैन, प्रदेश उपचेयरमैन, जिला एवं तहसील चेयरमैन:

प्रदेश कोर समिति, प्रदेश कार्यकारिणी समिति एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष की सिफारिश पर "राष्ट्रीय नियुक्ति समिति" द्वारा चयन और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा नियुक्ति की जायेगी ।

15(3) समितियों के कार्यान्वयन में पदानुक्रम:

a) तहसील चेयरमैन सम्बन्धित जिला चेयरमैन को रिपोर्ट करेंगे और जिला चेयरमैन, प्रदेश चेयरमैन / प्रदेश उपचेयरमैन को रिपोर्ट करेंगे और इसकी सूचना सम्बन्धित प्रदेश अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष को दी जायेगी,

b) प्रदेश चेयरमैन प्रत्येक छः महीने में किये गए कार्यों की प्रगति समीक्षा करेंगे और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय चेयरमैन और प्रदेश अध्यक्ष को भेजेंगे,

c) राष्ट्रीय चेयरमैन और प्रदेश अध्यक्ष अपनी टिप्पणी के साथ रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रेषित करेंगे,

d) क्षेत्रीय अध्यक्ष भी प्रत्येक छः महीनों में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य महासचिव के साथ विभिन्न समितियों के प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में अपनी टिप्पणियों एवं सलाह के साथ रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेंगे,

e) राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर जरुरी दिशानिर्देश जारी करेंगे ।

15(4) समितियों की पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार:

15(4)(1) राजनीतिक मामलों की समिति

राष्ट्रीय चेयरमैन:

a) समय–समय पर देश में राजनीतिक वातावरण का आकलन करते हुए तदनुसार केन्द्रीय नेतृत्त्व को आवश्यक कदम उठाने के लिये उचित सलाह देगा,

b) देश के विभिन्न भागों में समय–समय पर सम्पन्न होने वाले राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक चुनावों की सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित करके प्रत्येक प्रदेश में विभिन्न पदों के लिये योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा,

c) समाज के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को चुनाव में हिस्सा लेने के लिये देश की विभिन्न राजनीतिक दलों से सहयोग एवं टिकट प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करेंगे। इस कार्य के लिये अपनी समिति के प्रादेशिक पदाधिकारियों को प्रदेश इकाई के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ सामजस्य विठाकर विभिन्न राजनैतिक दलों से सम्पर्क करके अपने सदस्यों के समर्थन में माहौल बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैन:

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगी,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैन:

a) प्रदेश चेयरमैन का चुनाव से सम्बन्धित मामलों में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वह सभी प्रादेशिक समितियों एवं पदाधिकारियों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए उस प्रदेश में सक्रिय विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से मिलकर अपने समाज के उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में सक्रिय योगदान देंगे,

b) वह केन्द्रीय नेतृत्त्व से मिलकर महासंघ की तरफ से अपने उम्मीदवारों के पक्ष में संस्तुति पत्रों के साथ राजनीतिक दलों के प्रमुख पदाधिकारियों से मिलेंगे और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में विश्वास पैदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे,

c) अपने प्रदेश के राजनीतिक गतिविधियों में कार्य करने के इच्छुक सदस्यों की सूची तैयार करेंगे और उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलों से मिलकर उनके विभिन्न पदों पर कार्य करने के अवसर दिलाने में सहायता करेंगे,

d) राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध एवं संसुति के आधार पर राजनीतिक सम्मेलनों एवं बैठकों का आयोजन करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैन:

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

जिला चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन से और उपचयेरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उपचेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना।

तहसील चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन से और उपचयेरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उपचेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना।

15(4)(2). स्वास्थ्य और चिकित्सा राहत मामलों की समिति:

राष्ट्रीय चेयरमैन:

a) राष्ट्र के अनेक भागों में हमारे समाज के विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं एवं राहत के कार्यों की सूची तैयार करेंगे और उन्हें उस क्षेत्र के जरुरतमंद सदस्यों को नि:शुल्क या कम कीमत पर चिकित्सा सुविधा देने के लिये अनुरोध करेगा,

b) समाज के जरुरतमंद सदस्यों को विभिन्न सरकारी चिकित्सा निधियों जैसे राष्ट्रपति राहत निधि, प्रधानमंत्री राहत निधि एवं मुख्यमंत्री राहत निधि आदि से वैद्यकीय सहायता प्राप्त करने में सहायता करेगा,

c) सभी राज्यों के प्रदेश चेयरमैन (चिकित्सा राहत मामलों की समिति) के साथ समन्वय स्थापित करके निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करेंगे और सम्बन्धित डॉक्टरों एवं सर्जनों से अपने समाज के जरुरतमंद सदस्यों को रियायती दर पर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने का अनुरोध करेंगे । यह जानकारी सभी सदस्यों के साथ उचित माध्यमों द्वारा साझा की जायेगी जिससे वे अपने क्षेत्र के अस्पताल एवं क्लिनिक में जाकर उचित मूल्य पर चिकित्सीय सुविधा का लाभ ले सकें,

i. हमारे समाज के प्रदेशवार एवं जिलेवार डॉक्टरों (एम.बी.बी.एस., एम.डी., एम.एस., बी.एच.एस., बी.ए.एम.एस., आर.एम.पी. आदि) की सूची तथा उनके मोबाईल नंबर, सम्बन्धित अस्पतालों और क्लीनिकों के पते के साथ,

ii. हमारे समुदाय के सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल और क्लीनिकों की सूची उनके विशेष उपचार और अन्य सुविधाओं के बारे में,

d) समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में सम्मेलन और बैठकों का आयोजन करके सदस्यों की चिकित्सीय समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेगा ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैनः

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्रित करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा,

प्रदेश उप चेयरमैनः

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

जिला चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से संपूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण तहसील की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैन:

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(3). धार्मिक मामलों की समिति:

हमारे जीवन में भौतिक चीजों के साथ साथ अध्यात्म का भी उतना ही महत्त्व है । वर्तमान में हमारा समाज विभिन्न कारणों की वजह से टुकड़ों में बंटा हुआ है और इन सभी को अध्यात्म के सहारे एकत्र किया जा सकता है । यह कार्य "धार्मिक मामलों की समिति" के द्वारा सम्भव है ।

राष्ट्रीय चेयरमैन:

a) उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सर्व प्रथम हमारे समुदाय के द्वारा या सहयोग से निर्मित धार्मिक स्थलों, मंदिरों एवं धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हमारे समाज के महानुभावों एवं संत महात्माओं की प्रदेश और जिलेवार सूची तैयार करेगा,

b) प्रदेश चेयरमैन (धार्मिक मामलों की समिति) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समय-समय पर क्षेत्र के संतों और धार्मिक लोगों को साथ में लेकर धार्मिक सम्मेलनों एवं उत्सवों का आयोजन करेगा,

c) प्रमुख धार्मिक व्यक्तित्त्वों की पहचान करेगा और उन्हें राष्ट्रीय कोर कमेटी द्वारा निर्देशित विभिन्न सेमिनारों, समारोहों और बैठकों में आमंत्रित करेगा ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैन:

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करना,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्रित करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करना ।

प्रदेश उप चेयरमैन:

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

जिला चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चयेरमैनों की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना ।

जिला उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चयेरमैनों की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना ।

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकिरियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैन:

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

15(4)(4). न्यायिक और कानूनी मामलों की समिति:

राष्ट्रीय चेयरमैन:

a) प्रदेश स्तर के विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से देश की भिन्न भिन्न अदालतों में कार्य कर रहे समाज के अधिवक्ताओं और कार्यरत / अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों का विवरण, मोबाईल नंबर एवं पता आदि का विवरण एकत्र करेगा,

b) जिलेवार समुदाय के अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों का विवरण एक सूची के रूप में तैयार करके उनसे सम्पर्क स्थापित करना एवं उन्हें समाज के जरुरतमंद लोगों को कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन देने के लिये राजी करने की जिम्मेदारी होगी,

c) समुदाय के अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों का विवरण संकलित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजना होगा जिससे की इसकी सूचना उचित प्रसार माध्यमों के द्वारा समाज के सभी सदस्यों तक पहुँचायी जा सके,

d) इसके साथ ही इसे महासंघ की वेबसाइट पर भी डाला जायेगा जिससे हमारे समाज के ज्यादा से ज्यादा सदस्य लाभान्वित हो सकें,

e) समय–समय पर इस विषय पर विभिन्न बैठकों एवं सेमिनारों का आयोजन करेगा जिनमें समाज के जरुरतमंद सदस्यों एवं क्षेत्रीय अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को भी आमंत्रित किया जायेगा और उनसे समाज के लोगों को मामूली दरों पर या नि:शुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने के लिये निवेदन किया जायेगा ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैन:

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्र करने में सक्रिय सहयोग देगा जो राष्ट्रीय चेयरमैन को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैन:

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण तहसील की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैन:

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(5). प्रशासनिक मामलों की समिति:

राष्ट्रीय चेयरमैन:

a) केन्द्रीय एवं सभी प्रादेशिक सरकारों एवं उनकी संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत स्वजातीय अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण एकत्रित करेगा,

b) इन कर्मचारियों / अधिकारियों में विभिन्न श्रेणियों जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस., प्रादेशिक सेवा एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत एवं अवकाश प्राप्त शामिल होंगे,

c) इन कर्मचारियों की सूची प्रदेश एवं जिलेवार तैयार की जायेगी, इन सूचियों को उपलब्ध प्रसार माध्यमों द्वारा सभी सदस्यों तक पहुँचाया जायेगा,

d) इन सूचियों का नियमित रूप से नवीनीकरण किया जायेगा ताकि हमारे समुदाय के सदस्यों द्वारा इनसे मिलकर आवश्यक सहायता या सलाह प्राप्त की जा सके,

e) राष्ट्रीय इकाई के साथ मिलकर समय–समय पर आयोजित होने वाली बैठकों एवं सेमिनारों में इन कर्मचारियों को आमंत्रित किया जायेगा, जिससे पारस्परिक संवाद के द्वारा आपस में मधुर सम्बंध स्थापित हो सकें,

f) विभिन्न सम्मेलनों और सेमिनारों में पारस्परिक संवाद के द्वारा उनसे सम्बन्धित सेवा क्षेत्र में हमारे जरुरतमंद समुदाय के सदस्यों को संभव मदद देने के लिए उन्हें प्रेरित किया जायेगा।

राष्ट्रीय उप चेयरमैन:

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोगा करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्रित करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैन:

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना एवं सहयोग करना।

तहसील चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैन:

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(6). सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मामलों की समिति:

इस समिति के मुख्य उद्देश्यों के बारे में अनुच्छेद–4 में वर्णन दिया गया है ।

राष्ट्रीय चेयरमैन:

a) प्रदेश और केन्द्र सरकार द्वारा शुरु की गई विभिन्न सामाजिक और आर्थिक योजनाओं पर नजर रखेगा और समय–समय पर इन योजनाओं के बारे में हमारे समुदाय के मध्य जागरूकता पैदा करेगा,

b) सामान्य रूप से समुदाय के सदस्यों को सशक्त बनाने और कौशल विकास और उद्यमिता के लिए महत्त्वकांक्षी युवाओं को उपयुक्त परामर्श प्रदान कर महासंघ की तरफ से संभावित कार्यवाहियां शुरू करने के लिए महासंघ का मार्गदर्शन करेगा,

c) समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर संविधान में समय–समय पर परिवर्तन और संशोधन करने के लिए महासंघ का मार्गदर्शन करेगा ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैन:

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्र करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैन:

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैन:

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(7). विज्ञान और तकनीकी मामलों की समिति:

राष्ट्रीय चेयरमैन:

a) उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पादन एवं लागत की दृष्टिकोण से मिट्टी के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होने वाली तकनीक में सुधार के लिये नये तरीकों की सम्भावनाओं की खोज करने के लिये जिम्मेदार होगा,

b) हमारे समुदाय के युवाओं को दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली तकनीकी के बारे में जानकारी देगा और उन्हें इस क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव के बारे में खुद को उन्नत करने के लिये मार्गदर्शन एवं सलाह देगा ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैन:

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्र करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैनः

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैनः

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैनः

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(8). शैक्षणिक मामलों की समितिः

राष्ट्रीय चेयरमैनः

a) पूरे देश में हमारे समुदाय द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों एवं कॉलेजों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करेगा,

b) इन शैक्षणिक संस्थानों के पदाधिकारियों और इच्छुक विद्यार्थियों के साथ मिलकर इन संस्थानों से उनकी दिलचस्पी और पसंद के अनुसार नामांकन की सम्भावनाएं तलाश करेगा,

c) उन छात्रों को उचित सलाह देने का काम करेगा जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करते हैं,

d) रोजगार, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में नए अवसरों के बारे में प्रचारित एवं शिक्षित करने का कार्य करेगा,

e) वह केन्द्र सरकार और प्रवेश सरकारों के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और उनके मानव संसाधन विभागों के साथ मिलकर विचार विमर्श करेगा और हमारे समुदाय के जरुरतमंद छात्रों को सरकारी नीतियों और फैसलों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा,

f) केन्द्रीय और प्रदेश सरकारों द्वारा ओबीसी के लिए चलाई जा रही शैक्षणिक और कोचिंग सुविधाओं का पता लगाकर इसकी जानकारी जरुरतमंद छात्रों को देगा,

g) विभिन्न ट्रस्टों, जैसे टाटा संस, साहू ट्रस्ट आदि, द्वारा दी जा रही शैक्षणिक सहायता के बारे में जानकारी एकत्र करेगा और योग्य छात्रों को इससे लाभ लेने में सहायता करेगा ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैनः

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्र करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैनः

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैन:

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(9). बैंकिंग और वित्त मामलों की समिति:

राष्ट्रीय चेयरमैन:

a) सभी प्रदेशों से समुदाय के उन सदस्यों की जानकारी एकत्र करेगा जो अपना व्यवसाय स्थापित करने या अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए बैंकिंग संस्थाओं से कर्ज प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं । इस समस्या के निराकरण के लिये उन सदस्यों एवं प्रदेश चेयरमैनों (बैंकिंग और वित्त मामलों की समिति) के साथ मिलकर विभिन्न स्तरों पर बैठकों और सेमिनारों का आयोजन करेगा और उचित सलाह देकर उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करेगा,

b) उन सदस्यों को केन्द्र और प्रदेश सरकारों द्वारा शुरु की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देगा,

c) बैंकिंग और वित्त मामलों की समिति के प्रदेश चेयरमैनों के माध्यम से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं को सुलझायेगा ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैनः

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्र करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैनः

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैनः

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैन:

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(10). भ्रमण एवं यात्रा मामलों की समिति:

राष्ट्रीय चेयरमैन:

a) सभी प्रदेशों में भ्रमण एवं यात्रा के व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे समुदाय के लोगों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी एकत्र करेगा । यह जानकारी सभी सदस्यों को दी जायेगी जिससे वे उन क्षेत्रों में यात्रा करते समय आवश्यक जानकारी एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं,

b) यात्रा सम्बन्धी विवरण, जो कि व्यक्तिगत, व्यावसायिक और तीर्थयात्रा से सम्बन्धित हो सकता है, की जानकारी इस समिति को दी जा सकती है । समिति यात्रा का विवरण उस क्षेत्र के भ्रमण ऑपरेटर के पास भेज देगा जो उन सदस्यों को जरुरी सहायता एवं किफायती दरों में सुरक्षित यात्रा एवं विश्राम का प्रबन्ध करने में सहयोग देगा,

c) प्रदेश जिला और तहसील स्तर के पदाधिकारी मिलकर, ये विवरण अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से एकत्र करेंगे । इन विवरणों को संकलित करके वेबसाइट पर सभी की जानकारी के लिये अपलोड किया जायेगा ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैन:

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्र करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैन:

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैन:

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(11). खेल और सांस्कृतिक मामलों की समिति:

राष्ट्रीय चेरयमैन:

a) राष्ट्रीय चेयरमैन की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और तहसील स्तर पर सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए युवा महिलाओं और पुरुषों को सुविधा प्रदान करके इन आयोजनों में हिस्सा लेने के लिये प्रेरित करना है,

b) विभिन्न स्थानों पर खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके हमारे युवाओं को आमंत्रित करके खेलकूदों में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी होगी ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैन:

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्र करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैन:

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैनः

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(12). वैवाहिक मामलों की समितिः

राष्ट्रीय चेयरमैनः

a) विवाह योग्य युवकों एवं युवतियों की प्रदेश और जिलेवार आत्मवृत्त (Bio-Data) का विवरण एकत्र करेगा । युवा पुरुषों और महिलाओं के "परिचय सम्मेलन" का आयोजन करेगा और उन्हें अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने में सहायता प्रदान करेगा,

b) प्रदेश और जिलेवार स्तर पर सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करेगा और वहां उन युवकों एवं युवतियों को आमंत्रित करेगा और उन्हें समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक बुराइयों को, जैसे दहेज़ आदि, खत्म करने के लिये प्रेरित करेगा,

c) विवाह में परिहार्य व्यय को हटाने के लिए चयनित स्थानों पर "सामूहिक विवाह समारोहों" का आयोजन कराने की जिम्मेदारी होगी ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैनः

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्र करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैनः

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैनः

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैनः

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(13). विपणन (Marketing) प्रचार और शिकायत राहत मामलों की समितिः

राष्ट्रीय चेयरमैनः

a) माटीकला बोर्ड के चेयरमैनों के साथ मिलकर पारस्परिक विचार–विमर्श करके उनके बोर्डों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और इसकी त्रैमासिक रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेगा,

b) मिट्टी के बर्तन और इससे सम्बन्धित अन्य व्यवसायों से जुड़े हुए सदस्यों का विवरण एवं उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के बारे में जानकारी एकत्र करेगा और उन्हें सम्बन्धित माटीकला बोर्ड के चेयरमैन के पास भेजकर एवं उनसे मिलकर उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करेगा,

c) माटीकला बोर्ड के चेयरमैनों के साथ मिलकर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय अनुदान और योजनाओं के बारे में विचार विमर्श करेगा और सदस्यों की जरुरत के अनुसार बोर्ड के चेयरमैन को उचित सलाह देगा तथा इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को देगा,

d) प्रदेश के चेयरमैन और माटीकला बोर्डों के चेयरमैनो के साथ मिलकर मिट्टी के बर्तनों एवं अन्य उत्पादों को बाजार और प्रदर्शनियों में विक्री एवं प्रदर्शन के लिये उपयुक्त जगह के आवंटन की व्यवस्था करेगा ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैन:

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्र करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैन:

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैनः

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैनः

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(14). कौशल और उद्यमिता विकास मामलों की समितिः

राष्ट्रीय चेयरमैनः

a) केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और मिट्टी के बर्तन एवं अन्य उत्पाद बनाने वाले समुदाय के कारीगरों के कौशल विकास के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करके उनको प्रशिक्षण दिलाने में संयोजक के रूप में कार्य करेगा,

b) पूरे देश में मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी के व्यवसाय से जुड़े हमारे समुदाय के सदस्यों का विवरण एकत्र करेगा और उसके अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करेगा।

राष्ट्रीय उप चेयरमैनः

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्र करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैन:

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैन:

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(15). व्यापार एवं उद्योग विकास मामलों की समिति:

राष्ट्रीय चेयरमैन:

a) केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करना और अपने समाज के लोगों को व्यापारिक गतिविधियों के प्रति रुचि पैदा करके स्वरोजगार शुरु करने में मदद करना,

b) इसी तरह शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्योग स्थापित करने में मदद करना ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैन:

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्र करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैन:

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैनः

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

15(4)(16). मिट्टी के बर्तन एवं मूर्तियाँ, ईंट भट्टा एवं ग्रामीण विकास मामलों की समितिः

राष्ट्रीय चेयरमैनः

a) केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और मिट्टी के बर्तन एवं अन्य उत्पाद बनाने वाले समुदायों की समस्याओं को दूर करने में सहायता करना,

b) ईंट भट्टा व्यवसाय में शासन द्वारा जारी विभिन्न प्रतिबंधों एवं मानकों को पूरा करने में सहायता करना,

c) ग्रामीण विकास के अंतर्गत केंद्र एवं राजी सरकारों द्वारा चलाई जा रही की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करना और उनसे अपने समाज के लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करना ।

राष्ट्रीय उप चेयरमैनः

a) समिति के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय चेयरमैन की सहायता एवं सहयोग करेगा,

b) राष्ट्रीय चेयरमैन द्वारा दिये गये कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करना एवं उसके साथ मिलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करना ।

प्रदेश चेयरमैनः

a) राष्ट्रीय चेयरमैन को वो सभी जानकारी एवं विवरण एकत्र करने में सक्रिय सहयोग देगा जो उसे दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये आवश्यक है,

b) प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करके समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रदेश उप चेयरमैन:

समिति के प्रदेश चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना ।

जिला चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय एवं प्रदेश के चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) जिला उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

जिला उप चेयरमैन:

समिति के जिला चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता एवं सहयोग करना ।

तहसील चेयरमैन:

a) राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला चेयरमैन और उप चेयरमैन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं महासंघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं उनको पूरा करना,

b) तहसील उप चेयरमैन की सहायता से सम्पूर्ण जिले की समिति से सम्बंधित आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कार्य करना,

c) प्रदेश स्तर के सभी विंग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समिति के कार्यों को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना ।

तहसील उप चेयरमैन:

समिति के तहसील चेयरमैन को सौंपे गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना।

16. चुनाव और इसकी प्रणाली

महासंघ के सुचार रूप से संचालन के लिये विभिन्न स्तरों पर आवश्यक पदाधिकारियों की नियुक्ति चुनाव, चयन, अंगीकरण एवं सर्व सम्मति के आधार पर की जायेगी ।

चुनावः

16(1). चुनाव के अंतर्गत पदाधिकारियों का चयनः

चुनाव कराने की स्थिति में निम्न पदों का चुनाव गुप्त मतपत्रों द्वारा किया जाएगा:

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष

b) राष्ट्रीय मुख्य महासचिव

c) प्रदेश अध्यक्ष

d) प्रदेश मुख्य महासचिव

16(1)(1). चुनाव के लिए मानदंडः

a) उपर्युक्त पदों की अवधि 5 (पाँच) साल की होगी और सभी राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के चुनाव हर 5 (पाँच) वर्षों के बाद एक साथ कराये जायेंगे,

b) प्रदेश स्तर के चुनाव कुछ परिस्थितियों में जैसे कि आजीवन सदस्यों की अर्हक संख्या (Qualifying Nos.) प्राप्त होना या पदाधिकारियों द्वारा अवधि पूर्ण करने के पहले पद त्याग देना, 5 वर्ष के पहले भी कराये जा सकते हैं ।

c) यदि केवल एक प्रतियोगी है, तो एकमात्र प्रतियोगी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा,

d) प्रदेश / केन्द्र शासित प्रदेश में जहां महासंघ या इससे संबद्ध की कोई इकाई नहीं है, राष्ट्रीय कोर समिति दो वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य महासचिव को मनोनीत कर सकती है । वहां की कार्यकारिणी समिति को चुनाव आयोजित कराने के लिए 2000 (दो हजार) या इससे अधिक आजीवन सदस्य बनाने होंगे,

e) उन प्रदेशों में जहाँ आजीवन सदस्यों की संख्या 2000 या इससे अधिक है, वहां पर प्रादेशिक अध्यक्ष एवं प्रादेशिक मुख्य महासचिव का चयन चुनाव द्वारा किया जा सकता है, इसका निर्णय प्रदेश के सदस्यों की राय एवं उस समय प्रदेश में व्याप्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जायेगा,

f) चुनाव प्रक्रिया संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी,

g) ऐसे प्रदेशों में जहां आजीवन सदस्यों की संख्या 2000 (दो हजार) से कम है, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य महासचिव और केन्द्रीय पर्यवेक्षक मिलकर राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथ परामर्श करके नये प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य महासचिव के पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की तलाश करके राष्ट्रीय कोर समिति को अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं,

h) महासंघ के हितों को ध्यान में रखते हुए या विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय कोर समिति के साथ विचार विमर्श करके चुनाव प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकते हैं,

i) इन चुनावों में केवल आजीवन सदस्य ही भाग ले सकते हैं,

j) उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद विषम परिस्थितियों में महासंघ के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश मुख्य महासचिव को राष्ट्रीय कोर समिति के अनुमोदन से एक निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है । अगर आवश्यक हो तो इन नियुक्तियों का कार्यकाल राष्ट्रीय कोर समिति की सहमति से बढ़ाया जा सकता है ।

16(2). चयन:

a) उपर्युक्त धारा 16(1) में दिखाए गए 4 पदों के अलावा अन्य पदों का चयन राष्ट्रीय कोर समिति / प्रदेश कोर समिति द्वारा नामांकन के माध्यम से किया जायेगा,

b) राष्ट्रीय पदों का चयन, जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, विंग और समितियों के पदाधिकारी, आदि की नियुक्ति "राष्ट्रीय नियुक्ति समिति" द्वारा किया जायेगा । अगर आवश्यक हो तो इन नियुक्तियों का अनुमोदन राष्ट्रीय कोर समिति से लिया जा सकता है,

c) प्रादेशिक पदों का चयन जैसे प्रदेश कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चयन एवं नियुक्ति "प्रदेश नियुक्ति समिति" द्वारा किया जायेगा । इन नियुक्तियों का अनुमोदन प्रदेश कोर समिति / प्रदेश कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा और इसकी जानकारी मुख्य कार्यालय एवं केंद्रीय नेतृत्त्व को देना आवश्यक होगा,

d) विंग (शाखाओं) के प्रादेशिक सदस्यों का चयन एवं नियुक्ति सम्बंधित विंग की "राष्ट्रीय नियुक्ति समिति" द्वारा किया जायेगा और इसका पूर्ण विवरण मुख्य कार्यालय को भेजना होगा ।

16(3). उम्मीदवारों की योग्यता एवं कार्य का अनुभव:

16(3)(1). कार्य का अनुभव:

विभिन्न पदों के लिये आवश्यक कार्य का अनुभव निम्न प्रकार से है:

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष : 5 वर्ष का (राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य के रूप में)

b) राष्ट्रीय मुख्य महासचिव : 5 वर्ष का (राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य के रूप में)

c) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष : 5 वर्ष (राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में)

d) प्रदेश अध्यक्ष : 5 वर्ष (राष्ट्रीय / प्रदेश कोर समिति / राष्ट्रीय या प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में)

e) प्रदेश मुख्य महासचिव : 5 वर्ष (राष्ट्रीय / प्रदेश कोर समिति / राष्ट्रीय या प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में)

नोट: 1) राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के पद के लिये इच्छुक उम्मीदवारों को महासंघ की राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में कम से कम ५ वर्ष के कार्य करने का अनुभव आवश्यक है ।

2) प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश मुख्य महासचिव के पद के लिये इच्छुक उम्मीदवारों को महासंघ की राष्ट्रीय / प्रदेश कोर समिति या राष्ट्रीय / प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में कम से कम ५ वर्ष के कार्य करने का अनुभव आवश्यक है ।

16(3)(2). उम्मीदवारों की योग्यता:

उपर्युक्त पदों के लिये आवश्यक योग्यता निम्न प्रकार से हैं:

16(3)(2)(1). राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव:

a) **शैक्षणिक योग्यता:** न्यूनतम स्नातक तथा बोलने और लिखने में स्थानीय / हिंदी और अंग्रेजी आदि भाषाओं की जानकारी होना चाहिए,

b) **सहभागिता (Participation):**

i. देश के सभी भागों में आयोजित होने वाली बैठकों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में उपस्थित होने में सक्षम होना चाहिए,

ii. महासंघ को पूरा समय देने में सक्षम होना चाहिए और जरुरत के अनुसार देश के विभिन्न भागों में अपने संसाधनों से यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए,

iii. देश के विभिन्न हिस्सों से पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के आमंत्रण पर उनके द्वारा आयोजित बैठकों, सामाजिक और धार्मिक समारोहों में शामिल होने के लिये सक्षम होना चाहिए ।

c) **व्यक्तित्त्व:**

i. स्वच्छ छवि और चरित्र के साथ मनोहर और प्रभावशाली व्यक्तित्त्व होना चाहिए,

ii. सभी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना चाहिए,

iii. विभिन्न सम्मेलनों और समारोहों को सम्बोधित करने की क्षमता होनी चाहिए,

iv. शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए,

नोटः अनुच्छेद 16(3)(1) एवं 16(3)(2) में वर्णित अनुभव एवं योग्यता के बारे में अपेक्षित बदलाव असाधारण परिस्थितियों में महासंघ के हित को ध्यान में रखते हुए चुनाव की घोषणा के पूर्व राष्ट्रीय कोर समिति या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जा सकता है ।

16(3)(2)(2). राष्ट्रीय कोषाध्यक्षः

a) उसे खातों को सम्भालने और अभिलेखों को बनाए रखने का समुचित अनुभव होना चाहिए,

b) वह उच्च सत्यनिष्ठावान तथा उसका व्यक्तित्त्व स्वच्छ छवि का होना चाहिए,

c) कम से कम 5 साल तक महासंघ के साथ राष्ट्रीय कोर समिति या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए,

d) अच्छा संचार कौशल (Communication Skill) होना चाहिए,

e) सदस्यों से प्राप्त धन के दैनिक रिकॉर्ड को पूरा करना और महासंघ के बैंक खाते में रोजाना के आधार पर जमा करना होगा,

f) वार्षिक खातों के लेखा परीक्षा (Audit) की व्यवस्था करने और सूचना एवं अनुमोदन के लिए आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में इसे प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए,

g) आजीवन सदस्यों के रिकॉर्ड को ठीक से बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए ।

16(3)(2)(3). प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश मुख्य महासचिवः

a) **शैक्षणिक योग्यताः** बोलने और लिखने में स्थानीय एवं हिंदी / अंग्रेजी आदि भाषाओं की जानकारी होना चाहिए,

b) **सहभागिता (Participation):**

i. अपने प्रदेश / केन्द्र शासित प्रदेश में सदस्यों और पदाधिकारियों की मदद से बैठकों की व्यवस्था करने में सक्षम होना चाहिए,

ii. मुख्यालय में बैठकों में शामिल होने के लिये बुलाये जाने पर भाग लेना चाहिए,

iii. विभिन्न स्थानों पर सदस्यों से मिलने के लिए आवश्यक समय समर्पित एवं स्वसंसाधनों से यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए ।

c) **लोकप्रियताः**

i. व्यक्तिगत रूप से (बड़े राज्यों में) कम से कम 50 आजीवन सदस्य बनाने चाहिए,

ii. स्वच्छ छवि और चरित्र के साथ मनोहर और प्रभावशाली व्यक्तित्त्व होना चाहिए,

iii. सभी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना चाहिए,

iv. विभिन्न सम्मेलनों और समारोहों को सम्बोधित करने की क्षमता होनी चाहिए,

v. शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए,

नोटः उपरोक्त योग्यताओं में छूट के लिए राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा चुनाव घोषणा से पूर्व असाधारण परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है ।

16(4). चुनाव की विधिः

16(4)(1). राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव पदों के लिएः

a) उपरोक्त पदों का चुनाव सीधे आजीवन सदस्यों द्वारा किया जाएगा,

b) प्रदेश चुनाव अधिकारी और प्रदेश पदाधिकारियों की सहमति के साथ राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा प्रदेश के निर्धारित स्थानों पर मतदान किया जाएगा,

c) राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मतपत्रों के माध्यम से चुने गए स्थान, तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से वोटों के माध्यम से मतदान का उपयोग किया जा सकता है या राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी को मतपत्र डाक द्वारा भेजा जा सकता है,

d) मतदान राष्ट्रीय और प्रदेश के अध्यक्षों, राष्ट्रीय और प्रदेश के मुख्य महासचिव के लिए एक साथ कराया जाएगा,

e) राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के उचित अनुमोदन के बाद, अन्य विकल्प जैसे ई–वोटिंग आदि तरीकों के लिए विकल्प खुले रहेंगे ।

16(4)(2). प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य महासचिव पदों के लिएः

a) उन प्रदेशों के अध्यक्ष और मुख्य महासचिव का चुनाव प्रदेश के आजीवन सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिनकी संख्या 2000 (दो हजार) या इससे अधिक है और सदस्यता चुनाव की घोषणा से पूर्व ग्रहण की गयी है, प्रदेश के लिये महासंघ के हित में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन करने का विकल्प खुला रहेगा,

b) अधिकतम आजीवन सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्रदेश अध्यक्ष / प्रदेश मुख्य महासचिव के रूप में चुना जाएगा,

c) चुनाव सम्बंधित प्रदेश संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा सभी सम्बंधित सदस्यों से विचार विमर्श करने के बाद सुविधाजनक मतदान केन्द्रों का चयन किया जायेगा, हालांकि ई–वोटिंग का विकल्प राष्ट्रीय कोर समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से खुला रहेगा ।

16(5). चुनाव और मतदान प्रक्रिया:

16(5)(1). चुनाव की तैयारी:

a) निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पन्न होगी,

b) चुनाव की घोषणा के बाद सभी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समितियां राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी और चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने में सभी तरह का सहयोग प्रदान करेगी,

c) राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी वर्तमान अवधि की समाप्ति से 6 महीने पहले चुनाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा, राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव की घोषणा करते हुए नामांकन दाखिल करने की तारीख, नामांकन फॉर्म की जाँच, उम्मीदवारों की नामांकन वापसी, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा, मतदान, परिणामों की घोषणा और निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह की तिथियों की घोषणा करेगा,

d) नामांकन के लिए 30 दिन, नामांकन फॉर्म जाँच के लिए 15 दिन, नामांकन वापसी के लिये 15 दिन, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा के लिये 15 दिन, मतदान तिथि 15 दिन के बाद, मतदान पत्रों की प्राप्ति, गिनती और परिणामों की घोषणा के लिये 30 दिन एवं शपथ ग्रहण समारोह के लिये 25 दिन का समय दिया जायेगा । विभिन्न गतिविधियों की समाप्ति की अंतिम तारीख भी बताई जायेगी,

e) चुनाव के समय व्याप्त परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा सभी हित धारकों की सहमति से चुनाव प्रक्रिया की विभिन्न गतिविधियों के लिये निर्धारित समय सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है,

f) महासंघ के पात्र आजीवन सदस्यों की मतदाता सूची सम्बन्धित प्रदेश / केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को चुनाव घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी,

g) राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अंतिम मतदाता सूची, महासंघ की आधिकारिक वेबसाईट www.abpkmahasangh.net पर चुनाव की घोषणा के 30 दिनों के भीतर अपलोड की जायेगी । इस सूची को डाउनलोड करके चुनाव गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है । इसके साथ ही मतदाता सूची की प्रिंटेड कॉपी भी डाक या कूरियर द्वारा भेजी जाएगी,

h) निष्पक्ष एवं शांत ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा, राष्ट्रीय कोर समिति के साथ परामर्श करके, सम्बन्धित प्रदेशों में निर्वाचन (रिटर्निंग) अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे । आम तौर पर प्रदेश चुनाव अधिकारी को प्रदेश के निर्वाचन (रिटर्निंग) अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा,

i) नामांकन फॉर्म सभी आवश्यक दस्तावेजों, जैसे शपथ पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं विधिवत हस्ताक्षरित जाँच सूची के साथ सम्बन्धित प्रदेश के निर्वाचन (रिटर्निंग) अधिकारी के पास निर्धारित तिथि तक या उससे पहले जमा करना होगा,

j) नामांकन पत्रों की सम्बन्धित चुनाव (रिटर्निंग) अधिकारियों द्वारा जाँच की जाएगी और इसका पूर्ण विवरण राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजा जेयगा । जाँच के दौरान अगर कुछ विसंगतियां पायी जाती हैं तो उनका विवरण स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजी गयी रिपोर्ट में दिया जायेगा ।

k) निर्वाचन (रिटर्निंग) अधिकारी राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी की सलाह पर उचित निर्णय लेंगे,

l) चुनाव की घोषणा करने से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति चुनाव सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक निधि की स्वीकृति सहित, सभी औपचारिकताएं पूरी करेगी,

m) चुनाव निधि का उपयोग राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से सिर्फ चुनावों के संचालन के लिए किया जाएगा,

n) राष्ट्रीय कोर समिति बैंकों को लिखित रूप में सूचित करेगी कि अनुमोदित चुनाव निधि के अतिरिक्त किसी भी तरह की अन्य राशि का भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जायेगा जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) का भुगतान भी शामिल है। बैंकों द्वारा पुनः सभी तरह का व्यवहार राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा पारित नया संकल्प प्रेषित करने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा । इस अवधि के बारे में निर्णय निम्न रूप में लिया जायेगा,

i. राष्ट्रीय इकाई के चुनाव की घोषणा की तारीख और

ii. निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के शपथ लेने के बाद राष्ट्रीय कोर समिति गठित करके बैंक खातों को पुनः संचालित करने का संकल्प पारित करने की तारीख के मध्य की अवधि ।

o) राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति अनुमोदित चुनाव खर्च धनराशि के भुगतान के बारे में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगी । यह राशि राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी की अनुमति से आवश्यकतानुसार, चरणों में या एक ही बार में, बैंक से निकाली जायेगी,

p) चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी समितियां और उनसे संबंधित पदाधिकारी राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे,

q) चुनाव की घोषणा के बाद और चुने गए सदस्यों के सपथ लेने तक मौजूदा पदाधिकारी सामान्य कामकाज करना जारी रखेंगे । इस अवधि के दौरान वित्त और नीतिगत मामलों से सम्बन्धित कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा,

r) राष्ट्रीय या प्रादेशिक पदाधिकारियों के चुनाव प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा संबंधति रिटर्निंग ऑफिसर और प्रादेशिक चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट लेकर सभी हित धारकों से विचार विमर्श करके संविधान में निहित प्रावधानों के आधार पर सुलझाया जायेगा । राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी का निर्णय सभी पर बाध्यकारी रहेगा,

s) अनुच्छेद 16(1)(1)(B) में वर्णित परिस्थितियों में प्रदेश चुनाव के दौरान उत्पन्न होने वाले गंभीर विवादों के मामले में प्रतिभागियों के अपमानजनक और अप्रिय व्यवहार के कारण मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव समुदाय में सौहार्दता बनाए रखने के लिए 6(छह) महीने तक ही अवधि के लिए चुनाव कार्यवाही स्थगित करने का तत्काल निर्णय ले सकते हैं । बाद में इस निर्णय की पुष्टि राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा करवाई जायेगी,

t) इसके अलावा महासंघ के हित को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में "राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी" को चुनाव कार्यालय की जगह का चयन, वोट करने की प्रक्रिया, वोटिंग की जगह, वोटों की गणना एवं परिणामों की घोषणा आदि के बारे में बदलाव करने का विशेष अधिकार होगा ।

16(5)(2). नामांकन फार्म का दाखिल करना:

a) उम्मीदवारों को विधिवत रूप से भरे हुए हलफनामे के साथ नामांकन फॉर्म जमा करना होगा। साथ में निम्न विवरण के अनुसार जमानत राशि, नगद या डिमांड

ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा,

i. राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव – 21,000/- रुपये

ii. प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य महासचिव – 11,000/- रुपये

b) डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने वाले जमानत राशि का भुगतान का ड्राफ्ट, "अखिल भारतीय प्रजापति (कुंभकार) महासंघ" के पक्ष में बना होना चाहिये,

c) उम्मीदवारों द्वारा, मतदान किए गए वैध मतों के 20% (1/5) से कम हासिल करने पर, उनकी जमानत राशि वापस नहीं की जायेगी ।

नोटः 1) जिला / तहसील अध्यक्ष और जिला / तहसील के मुख्य महासचिव का चुनाव, इसी पद्धति के अनुसार किया जाएगा । हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न शर्तों में छूट दी जा सकती है ।

2) उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में प्रदेश इकाई उचित निर्णय लेगी।

16(5)(3). मतदान की पद्धतिः

मतदान नीचे दी गई पद्धति के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे ।

a) नामित मतदान केन्द्रों पर सदस्यों द्वारा मतदान,

b) डाक मत पत्रों द्वारा मतदान ।

16(5)(3)(1). नामित मतदान केन्द्रों पर मतदान करनाः

a) सभी सम्बन्धित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक इकाइयों के लिये मतदान उसी दिन और उसी अवधि में किया जाएगा,

b) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, सभी राज्यों की कार्यवाही की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जायेगी जो चुनाव प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी एवं रिपोर्ट राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजेंगे,

c) राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में या केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के चुनाव की स्थिति में डाक द्वारा मतदान के साथ साथ सर्वसम्मति से निर्धारित किसी एक जगह पर व्यक्तिगत रूप से भी मतदान करने की व्यवस्था कर सकते हैं ।

16(5)(3)(2). डाक मतपत्र के द्वारा मतदानः

a) राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के चुनाव के मतपत्र, आवश्यक निर्देशों के साथ सभी पात्र आजीवन सदस्यों को डाक द्वारा राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी को सम्बोधित और मुद्रांकित लिफाफे के साथ मतदान की तारीख से 30 दिनों के पूर्व भेजे जायेंगे । मतपत्र प्राप्त न होने की स्थिति में सदस्य सम्बन्धित प्रदेश के चुनाव अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं,

b) जिन प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश मुख्य महासचिव के भी चुनाव होंगे उस स्थिति में प्रदेश इकाई के चुनाव मतपत्र भी राष्ट्रीय इकाई के चुनाव के मतपत्र के साथ भेजे जायेंगे । इन प्रदेशों के सदस्यों के पास व्यक्तिगत रूप में या डाक द्वारा मतदान का विकल्प रहेगा । प्रदेश इकाई के चुनाव मतपत्र, प्रदेश चुनाव अधिकारी द्वारा भी अलग से भेजे जा सकते हैं,

c) उन प्रदेशों के सदस्यों को जहाँ प्रादेशिक इकाई के चुनाव नहीं हो रहे है, राष्ट्रीय इकाई के चुनाव के लिये उपलब्ध कराये गये मतपत्र वोटिंग अधिकार प्रयोग करने के बाद मुद्रांकित लिफाफे में डाक द्वारा तय समय सीमा के अंदर राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी के पास भेजना है,

d) जिन प्रदेशों में प्रदेश इकाई के भी चुनाव हो रहे हैं वहां के सदस्यों को राष्ट्रीय एवं प्रदेश दोनों इकाइयों के चुनाव मतपत्र वोटिंग अधिकार प्रयोग करने के बाद अलग अलग चिन्हित मुद्रांकित लिफाफों में डाक द्वारा राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी के पास भेजना है,

e) इन मतपत्रों को सदस्यों द्वारा अपना वोटिंग अधिकार प्रयोग करने के बाद दिए गए लिफाफे में रखकर डाक द्वारा इस तरह से भेजना है कि उनका मतपत्र तय तारीख एवं समय के अन्दर राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी के पास पहुँच जायें,

f) सदस्यों को उनके प्रदेश में तय किए गए स्थान में भी व्यक्तिगत रूप में तय तारीख एवं समय पर वोट डालने का विकल्प खुला रहेगा,

नोटः मतपत्रों को खोलने एवं गिनती के समय उम्मीद्वारों के प्रतिनिधि या अन्य सदस्य उपस्थित रह सकते हैं।

16(6). मतदान और परिणामों की घोषणाः

a) धारा 16(1) के तहत उल्लेखित उपरोक्त 4 (चार) पदों के चुनाव के लिए मतदान राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में उसी तारीख को सुबह 10.00 बजे से 6.00 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा । जिन सदस्यों को डाक मतपत्र पत्रों के माध्यम से अपने मताधिकार (फ्रेंचाइजी) का इस्तेमाल करना है, वे अपने वोट को उनके उपलब्ध कराये गए लिफाफे द्वारा उचित समय के अंदर डाक से भेज सकते हैं, जिससे कि उनका मतपत्र वोटिंग बंद होने से पहले राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी तक पहुँच सके,

b) मतदान किए गए वोटों पर रिटर्निंग ऑफिसर (प्रदेश चुनाव अधिकारी) और केन्द्रीय पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के लिए वोट अलग से मुहरबंद कवर में रखे जाएंगे, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर और केन्द्रीय प्रयवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे । उसी तरह प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य महासचिव के लिए मतदान किए गए मतपत्रों को सीलबंद लिफाफे में आगे की प्रक्रिया के लिये राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी के पास भेजा जायेगा,

c) प्रदेश इकाई के लिए मतदान किए गए वोटों के साथ राष्ट्रीय इकाई के लिए मतदान किए गए वोटों को केन्द्रीय प्रयवेक्षक द्वारा दस्ती / स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक / प्रतिष्ठित कूरियर सेवा द्वारा अलग–अलग कवर में राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजा जाएगा,

d) राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी को डाक द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय इकाई एवं प्रादेशिक इकाई के मतपत्र तथा चुनाव अधिकारियों द्वारा भेजे गए राष्ट्रीय इकाई एवं प्रादेशिक इकाई के मतपत्रों की गिनती एक साथ की जायेगी,

e) सभी मतपत्रों की गिनती होने के बाद, राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर सम्पन्न चुनावों के परिणामों की घोषणा की जायेगी ।

f) राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहले से तय तारीख एवं समय पर इन मतपत्रों की गणना की जायेगी और राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक इकाइयों के चुनाव परिणामों की घोषणा की जायेगी,

g) राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक इकाइयों के लिए किये गए वोटों का विवरण अगले चुनाव तक रिकॉर्ड के लिए मुख्यालय में रखा जाएगा ।

नोट: मतपत्रों को खोलने एवं गिनती के समय उम्मीदवारों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

16(7). चुनाव परिणामों के बाद नई समितियों का गठन:

a) सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव परिणामों की घोषणा की जायेगी,

b) चुनाव प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा फैसला किया जाएगा,

c) नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा राष्ट्रीय कोर समिति का गठन किया जायेगा । इसके बाद राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एवं विभिन्न विंग के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को नामांकित करके उनकी नियुक्तियां राष्ट्रीय नियुक्ति समिति द्वारा की जायेगी । इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जायेगा की सभी प्रदेशों को उचित प्रतिनिधित्व मिले । समितियों की सभी नियुक्तियां राष्ट्रीय नियुक्ति समिति द्वारा की जायेगी,

d) नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य महासचिव, प्रदेश कोर समिति का गठन करेंगे एवं प्रदेश के पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकिति करने के बाद “प्रदेश नियुक्ति समिति” द्वारा नियुक्त किये जायेंगे । इसके बाद विंग के प्रादेशिक पदाधिकारियों का चयन एवं नियुक्तियां “राष्ट्रीय कोर समिति” / “प्रदेश कोर समिति” के परामर्श से सम्बंधित विंग की “राष्ट्रीय नियुक्ति समिति” द्वारा की जायेगी ।

नोटः a) कोई भी सदस्य केन्द्रीय, प्रदेश, जिला या तहसील स्तर की किसी भी समिति में केवल एक ही पद धारण कर सकता है । हालांकि, सम्बन्धित प्रदेश या केन्द्रीय इकाई की सहमति के साथ, महासंघ के हित में अन्य समिति में एक विशिष्ट अवधि के लिए सदस्य को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं,

b) केन्द्रीय और प्रदेश इकाइयों की अवधि 5 (पाँच) वर्ष होगी और यह शपथ ग्रहण समारोह की तारीख से शुरू होगी,

c) आम तौर पर नामित पदाधिकारी का चयन / मनोनयन अधिकतम 2 (दो) टर्म (अवधि) के लिए किया जाएगा । हालांकि, इसे राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और सम्बन्धित प्रदेश / संघ प्रदेश की कोर समिति द्वारा छूट दी जा सकती है ।

d) निर्वाचित पद या चुनाव के अधीन (नामांकन द्वारा नहीं) यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य महासचिव के पदों के ऊपर उपरोक्त नोट (c) में उल्लेखित 2 (दो) टर्म (अवधि) की धारा लागू नहीं होगी और कोई भी योग्य उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है,

e) सदस्यता शुल्क का डिफॉल्टर, रसीद किताब और धन की वापसी न करना या अन्य किसी भी गंभीर दोष के साबित आरोप के सदस्य को किसी भी चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा।

17. आय के स्रोत और निधियों का उपयोगः

a) आजीवन सदस्यों से सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि बैंकों में मियादी जमा (Fixed Deposit) के रूप में जमा की जायेगी,

b) आम सभा (General Body) / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठकों को आयोजित करने के लिये प्रादेशिक इकाइयों द्वारा वित्तीय सहायता की मांग के समय, बैठकों में खर्च होने वाली धनराशि का राष्ट्रीय कोर कमिटी द्वारा तय भाग महासंघ की केन्द्रीय इकाई द्वारा इस जमा धनराशि से साझा किया जायेगा,

c) महासंघ के कार्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कोर समिति विभिन्न तरह के सम्भावित तरीकों का पता लगाएगी । ऐसे सभी नीतिगत फैसलों का अनुमोदन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में किया जायेगा,

d) प्रदेश कोर कमिटी भी इसी तरह का निर्णय राष्ट्रीय कोर कमिटी की सहमति से ले सकती है । इस तरह के निर्णयों की पुष्टि प्रादेशिक कार्यकारिणी की अगली बैठक में की जायेगी ।

18. खाता एवं लेखा परीक्षा:

a) खाते और कार्यालयों से सम्बन्धित कार्यों का निरीक्षण समय–समय पर आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा और रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव को उचित टिप्पणी के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी,

b) महासंघ की वार्षिक आय / व्यय विवरण एवं वित्तीय स्थिति (Balance Sheet) के विवरण की जाँच राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी,

c) जाँच किये हुए कार्य, आय/व्यय एवं वित्तीय स्थिति विवरण की रिपोर्ट आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

19. वित्तीय वर्ष:

महासंघ के लिये वित्तीय वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक रहेगा ।

20. बैंक खातों का संचालन:

a) महासंघ की केन्द्रीय इकाई के बचत / चालू खातों के खोलने, संचालन करने एवं बंद करने के निर्णय लेने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की होगी,

b) बैंक खाते सिर्फ राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा चिन्हित शेड्यूल / राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खोले और संचालित किए जाएंगे,

c) बैंक खातों का संचालन संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव या राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा,

d) बैंक खातों का संचालन महासंघ की जरुरत के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित संकल्प के आधार पर नियंत्रित किया जायेगा,

e) बैंक खातों के संचालन की यही प्रक्रिया प्रदेशों / संघीय प्रदेशों की इकाइयों में भी अनुसरण की जायेगी,

f) भारत सरकार / रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों का दृढ़ता के साथ पालन किया जायेगा ।

21. आकस्मिक रिक्त पदों में नियुक्ति:

a) विभिन्न कारणों की वजह से पूर्व निर्धारित समय के पहले उत्पन्न होने वाली पदाधिकारियों की रिक्तियों को राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकन या चुनाव के द्वारा भरा जायेगा,

b) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को राष्ट्रीय कोर समिति/राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा महासंघ के आजीवन सदस्यों में से भरा जायेगा ।

22. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा-4 के अनुसार प्रबंधन समिति की वार्षिक सूची:

सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा-4 के अनुसार "राष्ट्रीय कोर समिति" जो कि महासंघ के प्रबंधन एवं संचालन के लिये जिम्मेदार है, में किसी भी बदलाव की स्थिति में, संशोधित सूची रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास भेजी जायेगी।

23. सोसायटी अधिनियम 1860 की धारा-6 के अनुसार कानूनी कार्यवाही:

a) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा-6 के अनुसार महासंघ द्वारा या महासंघ के विरुद्ध सभी तरह की कानूनी कार्यवाही "राष्ट्रीय मुख्य महासचिव" के नाम पर की जायेगी,

b) सभी तरह की कानूनी कार्यवाही, राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा अनुमोदन के बाद ही शुरु की जाएगी,

c) किसी भी परिस्थिति में, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव कोई भी कानूनी कार्यवाही अपने आप शुरु नहीं करेगा,

d) महासंघ से जुड़े सभी कानूनी विवाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव / केन्द्रीय कार्यालय से सम्बंधित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में ही तय किए जायेंगे,

24. सोसायटी अधिनियम 1860 की धारा-12 और 12A के अंतर्गत संशोधन:

a) साधारण सभा (General Body) / राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित संविधान में संशोधन की चर्चा के लिये "संविधान संशोधन समिति" का गठन किया जायेगा,

b) यह समिति संभावित संशोधनों के बारे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में विचार विमर्श करेगी । इसके बाद प्रस्तावित संशोधनों को सूचीबद्ध तरीके से एक मसौदे (Draft) के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों एवं पदाधिकारियों को उनकी जानकारी एवं तय समय सीमा के अंदर टिप्पणी देने के लिये भेजेगी,

c) इस तरह से प्राप्त सभी सुझावों एवं टिप्पणियों को समायोजित करके मसौदे को अंतिम रूप देने के लिये इसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में 3/5 के बहुमत से अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा,

d) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित मसौदा साधारण सभा (General Body) की बैठक में 3/5 के बहुमत से स्विकार करने के लिये प्रस्तुत किया जायेगा,

e) संशोधित संविधान साधारण सभा (General Body) द्वारा स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा,

f) साधारण सभा (General Body) द्वारा स्वीकृत संविधान संशोधनों को आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने एवं जानकारी के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रार (दिल्ली) को भेजा जाएगा ।

25. अस्थाई और क्षणिक प्रावधान:

a) जिन प्रदेशों / संघीय प्रदेशों में महासंघ की कोई इकाई नहीं है वहां पर संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कोर समिति नामांकन पद्धति द्वारा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश मुख्य महासचिव की नियुक्ति कर सकती है । ऐसी नियुक्तियों की अवधि ६ माह के लिये होगी,

b) नामित प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य महासचिव, अस्थायी रूप में प्रदेश कार्यकारिणी समिति को नामित कर सकते हैं,

c) प्रदेश अध्यक्ष प्रत्येक जिले के लिए जिला अध्यक्ष नामित कर सकता है जो अस्थायी रूप से अपने संबंधित जिलों में प्रबंध समितियों को नियुक्त कर सकते हैं,

d) इसी प्रकार जिलाध्यक्ष प्रत्येक तहसील के लिये अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, जिनके पास सम्बन्धित तहसीलों के लिए प्रबंध समितियों की नियुक्ति करने का अधिकार होगा,

e) राष्ट्रीय कोर समिति इन नियुक्तियों को किसी भी समय पर्याप्त कारणों के आधार पर भंग कर सकती है ।

26. विघटन:

a) संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा–13 और 14 में दी गई व्यवस्था के अनुसार "महासंघ" तब तक भंग नहीं किया जा सकता जब तक इसका निर्णय इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक में 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विघटन संकल्प पारित नहीं किया गया है,

b) विघटन की स्थिति में महासंघ की सम्पूर्ण संपत्ति महासंघ के कुल सदस्यों के 3/5 बहुमत वाले निर्णय के आधार पर "प्रजापति समुदाय" के किसी मान्यता प्राप्त धर्मार्थ संस्था को सौंप दी जायेगी,

c) परिसमापन (Liquidation) की स्थिति में महासंघ के प्रत्येक सदस्य की देनदारी परिसमापन के समय उसकी सदस्यता शुल्क तक ही सीमित रहेगी ।

27. अनुच्छेदों के उपयोग के सम्बन्ध में:

महासंघ को "सासाइटी पंजीकरण अधिनियम-1860" के अनुसार पंजीकृत किया गया है (पंजाब संशोधन अधिनियम-1957) जो भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है ।

28. आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम-2021:

(सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा-12 के अंतर्गत नया अनुच्छेद) महासंघ के मामलों में अनुशासन और सुचारु रूप से क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम लागू किये गये हैं ।

28(1). आचरण, अनुशासन नियम:

a) प्रत्येक सदस्य महासंघ के प्रति पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाये रखेगा,

b) प्रत्येक सदस्य उसे सौंपे गए कार्य को सच्ची लगन के साथ पूरा करेगा,

c) कोई भी सदस्य महासंघ की नीतियों के विरुद्ध काम नहीं करेगा,

d) प्रत्येक सदस्य महासंघ की छवि बढ़ाने वाले कार्यों में सदैव योगदान देगा,

e) कोई भी सदस्य गलत सूचना प्रस्तुत नहीं करेगा,

f) कोई भी सदस्य ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे महासंघ की छवि धूमिल हो।

28(2). अनुशासनात्मक कार्यवाही:

28(2)(1). कार्यवाही की आवश्यकता:

a) सभी सदस्यों से संविधान के प्रावधानों के अनुसार और महासंघ के हित में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है,

b) यदि किसी पदाधिकारी या सदस्य के कार्य या उसकी गतिविधियां महासंघ के हित के विरुद्ध पायी जाती हैं तो उसके विरुद्ध संविधान की धारा-8(2) एवं 28 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी,

c) अपेक्षित कार्य परिणाम न मिलने की स्थिति में, सम्बन्धित नियुक्ति पदाधिकारी उस सदस्य या पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही कर सकता है।

28(2)(2). अनुशासन समितिः

a) संभावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के विश्लेषण के लिए निम्न अनुशासन समितियों का गठन किया जायेगाः-

i) राष्ट्रीय अनुशासन समिति

ii) प्रादेशिक अनुशासन समिति ।

b) राष्ट्रीय अनुशासन समितिः

केंद्रीय नेतृत्त्व के संज्ञान में लायी गई राष्ट्रीय स्तर की शिकायतों का विश्लेषण "राष्ट्रीय अनुशासन समिति" / "राष्ट्रीय कोर समिति" द्वारा किया जायेगा ।

i) राष्ट्रीय अनुशासन समिति उपलब्ध जानकारी के आधार पर सभी पहलुओं पर विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट उचित सलाह के साथ अग्रिम कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रेषित करेगी,

ii) यह रिपोर्ट "राष्ट्रीय कोर समिति" के समक्ष विचार के लिए रखी जाएगी और उसकी अनुमति और सलाह के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सक्षम पदाधिकारी / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव / जाँच अधिकारी के पास धारा-28(4) के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जायेगी।

iii) सक्षम पदाधिकारी / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव / जाँच अधिकारी द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी और अपनी रिपोर्ट निष्कर्ष एवं अनुसंशा के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजेगी,

iv) राष्ट्रीय कोर समिति उपलब्ध जाँच रिपोर्ट के आधार पर सदस्य के विरुद्ध दंड का निर्धारण करेगी और इसे कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के पास भेजेगी,

v) राष्ट्रीय मुख्य महासचिव सम्बंधित सदस्य को दंड का आदेश जारी करेगा ।

c) प्रादेशिक अनुशासन समितिः

प्रदेश स्तर पर एक अनुशासन समिति का गठन किया जाएगा और प्रदेश, जिला एवं तहसिल स्तर के अनुशासानात्मक मामलों का निपटारा राष्ट्रीय स्तर की तरह किया जाएगा ।

28(3). दुराचार की श्रेणी में आने वाले कार्यः

a) चोरी, धोखाधड़ी और बेईमान गतिविधियों में शामिल होना,

b) महासंघ के वित्तीय संसाधनों पर स्वयं का आधिपत्य प्रदर्शित करना,

c) सोशल मीडिया में महासंघ के विरुद्ध आलोचना, गलत एवं तोड़-मरोड़कर जानकारी देकर सदस्यों के बीच भ्रम पैदा करना,

d) झूठी जानकारी प्रस्तुत करना,

e) विद्रोहशीलता, अवज्ञा एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ गलत आचरण,

f) हस्तक्षेप, नियम–विरुद्ध और अशिष्ट व्यवहार,

g) महासंघ के रिकॉर्ड को नष्ट करने का प्रयास करना,

h) बिना अनुमति के अन्य संगठन की गतिविधियों में शामिल होने या उसकी सदस्यता ग्रहण करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसमें महासंघ से निष्कासन भी शामिल है,

i) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति / राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा दुराचार के रूप में वर्गीकृत अन्य कार्य ।

28(4). अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रियाः

a) किसी सदस्य या पदाधिकारी के विरुद्ध महासंघ द्वारा निश्चित अनुशासनात्मक मापदण्डों के खिलाफ शिकायत या जानकारी प्राप्त होने पर इसकी सूचना केन्द्रीय नेतृत्त्व द्वारा राष्ट्रीय कोर समिति को विचार के लिये प्रेषित की जायेगी,

b) मामले की गंभीरता के अनुसार राष्ट्रीय कोर समिति अपनी अनुशंसा सक्षम अधिकारी / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव को आगे की कार्यवाही के लिये देगी । मामले की गंभीरता के अनुसार सक्षम अधिकारी / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा सम्बंधित सदस्य को "कारण बताओ नोटिस" जारी किया जायेगा । इस नोटिस का जवाब / स्पष्टीकरण लिखित रुप में रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट द्वारा मुख्य कार्यालय को नोटिस की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर भेजना होगा ।

c) यदि सम्बंधित सदस्य लगाये गये आरोपों को स्वीकार कर लेता है, तो सक्षम अधिकारी / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, अपने विवेक से टिप्पणी के साथ रिपोर्ट राष्ट्रीय कोर समिति को विचार एवं निर्णय के लिये भेजेगा,

d) सम्बंधित सदस्य / पदाधिकारी से उत्तर / स्पष्टीकरण मिलने पर सक्षम अधिकारी / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव स्वयं संज्ञान लेकर राष्ट्रीय कोर समिति को अपनी संस्तुति के साथ भेज सकता है । अगर आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव / राष्ट्रीय कोर समिति की अनुशंसा या आवश्यकता के अनुसार सक्षम अधिकारी / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा मामले की गहराई से जाँच के लिये राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा नियुक्त जाँच अधिकारी को सौंप सकता है । सक्षम अधिकारी / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, जाँच अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट, अपनी टिप्पणी के साथ उचित निर्णय लेने के लिये राष्ट्रीय कोर समिति को प्रेषित करेगा,

e) राष्ट्रीय कोर समिति जाँच रिपोर्ट और सक्षम अधिकारी / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव की संस्तुति के आधार पर सम्बंधित सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लेगी और इसको अमल में लाने के लिये सक्षम अधिकारी / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव को प्रस्तुत करेगी,

f) सक्षम अधिकारी / राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा उचित कार्यवाही के बाद राष्ट्रीय कोर समिति को कार्यान्वयन रिपोर्ट सौंपी जायेगी । राष्ट्रीय कोर समिति का निर्णय अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक में पारित किया जायेगा ।

28(5). अपील:

a) सम्बंधित सदस्य को दंडात्मक आदेश की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर आदेश के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष / राष्ट्रीय कोर समिति से अपील करने का अधिकार होगा,

b) इस अपील का निपटारा 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर कर दिया जायेगा और राष्ट्रीय कोर समिति / राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय को राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के माध्यम से सम्बन्धित सदस्य को सूचित कर दिया जायेगा । यह निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा ।

29. आवश्यक प्रमाणपत्र:

प्रमाणित किया जाता है कि यह सोसाइटी "अखिल भारतीय प्रजापति (कुम्भकार) महासंघ (रजि.)" के नियमों और विनियमों की मूल और सही प्रतिलिपि है ।

आर.बी.के. प्रजापति	**CA मनोज प्रजापति**	**भेरुलाल प्रजापति**
राष्ट्रीय अध्यक्ष	राष्ट्रीय मुख्य महासचिव	राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
दि: 31/03/2021	दि: 31/03/2021	दि: 31/03/2021